विषय सूची

क्र० सं०	विवरण	पेज संख्या
(1)	मूट कोर्ट	
	(i) अर्थ एवं महत्व	~~1-07~~
	(ii) मूट कोर्ट संचालन करने की रीति	~~8~~
	(iii) आभासी-न्यायालय एवं न्यायलय में अंतर	
	(iv) सफलता के कारक	
02.	मूट समस्या संख्या-01. (दीवानी).	
	(i) संक्षिप्त सारांश वाद	
	(ii) वाद की प्रकृति	
	(iii) तर्क पक्ष और विपक्ष में	
	(iv) विधिक बिन्दु	
	(v) परिणाम	
03.	मूट समस्या संख्या-02 (दीवानी).	
	(i) वाद का संक्षिप्त सारांश	
	(ii) वाद की प्रकृति	
	(iii) तर्क पक्ष एवं विपक्ष में	
	(iv) विधिक बिन्दु	
	(v) परिणाम	
04	मूट समस्या संख्या-03 (फौजदारी)	
	(i) जमानत प्रार्थनापत्र	
	(ii) समर्पण प्रार्थनापत्र	
	(iii) प्रथम सूचना	

UNITED SECULAR SOCIETY

क्र.सं.	विवरण	पेज संख्या
05	विचारण से पूर्व तैयारी	
	(i) साक्षात्कार तकनीकी संख्या-01. (ii) साक्षात्कार तकनीकी संख्या-02. (iii) विचारण से पूर्व तैयारी-	
06	विचारण की कार्यवाहियों में भाग लेना	
07	मुचलका एवं जमानतनामा	

UNITED SECULAR SOCIETY

अर्थ एवं महत्व

विधि के विद्यार्थियों के लिए कृत्रिम न्यायालय का गठन करना मूट कोर्ट (आभासी न्यायालय) के नाम से जाना जाता है। यह न्यायालय द्वारा निर्णीत किसी विनिर्दिष्ट विषय या विवादक अथवा इस प्रयोजनार्थ तैयार किये गये किसी काल्पनिक वाद पर एक प्रकार का वाद-विवाद (debate) होता है।

शास्त्रार्थ (Mooting) एक विशिष्ट प्रकार का स्वांग समझा जाता है जिसमें विद्यार्थियों से स्वांग रचे गये न्यायालय (Simulated Court) के समक्ष विधि के बिन्दुओं पर बहस करने के लिए कहा जाता है। विद्यार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे सम्मत करने योग्य विधिक बहस को तैयार करने एवं उसे प्रस्तुत करने में अपनी समस्त कुशलता का प्रयोग करेंगे। मूट कोर्ट में भागीदारी व्यावहारिक कुशलता का विकास करती है। इससे विधि के विद्यार्थियों में आत्म-विश्वास का विकास होता है जो विधि व्यवसाय में सफलता के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से एक है। यह विद्यार्थियों को वाद-पत्र (Plaint) तैयार करने, लिखित कथनों और बहस के बिन्दुओं को तैयार करने के अतिरिक्त, आरोपों आदि को विरचित करने का अवसर प्रदान करता है।

UNITED SECULAR SOCIETY

मूट कोर्ट से विद्यार्थियों में अदालत के कमरे (Court-room) के शिष्टाचार (etiquette) के साथ अपने पक्ष पर बहस करने की योग्यता का विकास होता है। इसमें भागीदारी द्वारा विद्यार्थियों में विधिक विवाद्यकों को पहचानने, विधिक सामग्री एकत्र करने, बिना उत्तेजित हुए बहस करने तथा न्यायालय अथवा विरोधी पक्ष से पूछे गये प्रश्नों के उत्तर देने की योग्यता विकसित होती है। ये गुण विधि - व्यवसाय में सफलता के लिए आवश्यक समझे जाते हैं।

मूट कोर्ट में भाग लेकर विद्यार्थियों को अधिवक्ता के कर्तव्यों का भी ज्ञान हो जाता है। अधिवक्ताओं से यह अपेक्षा की जाती है कि वह न्याय प्रशासन में न्यायालय की सहायता करेंगे। अधिवक्तागण वाद से सम्बन्धित सामग्री संग्रह करते हैं और तद्द्वारा विशुद्ध निर्णय पर पहुँचने में न्यायालय की सहायता करते हैं। वे न्यायालय के अधिकारी होते हैं तथा न्यायालय उनके कथनों के आधार पर कार्य करता है।

अतः वे न्यायालय के प्रति आत्यन्तिक रूप से निष्पक्ष होने के लिए कर्तव्यबद्ध हैं। [illegible] उनमें तथ्यों के सम्बन्ध में यथार्थपूर्ण कथन करने की अपेक्षा की जाती है, उन्हें तथ्य को तोड़ना-मरोड़ना नहीं चाहिए।

2. मूट कोर्ट (आभासी न्यायालय) एवं न्यायालय में अंतर -

न्यायमूर्ति टेकचन्द की राय में इस प्रयोजनार्थ नाम "न्यायालय" न्यायिक न्यायाधिकरणों तक सीमित है।[2] श्री जगदीश स्वरूप तथा श्री विनोद स्वरूप ने यह सम्प्रेक्षण किया है कि न्यायालय विवादों को न्यायिक ढंग से तय करने के कर्तव्य से प्रभावित होता है और वह किसी ऐसे निश्चित निर्णय में पक्षकारों के अधिकारों की घोषणा करता है जो अन्तिम एवं प्रमाणित हो।[3] न्यायिक ढंग से तय करने में यह अन्तर्वलित होता है कि पक्षकारों को क्रमशः उनके दावों / अभिमत के समर्थन में साधिकार सुने जाने तथा उसके सबूत में

UNITED SECULAR SOCIETY

साक्ष्य पेश करने का हक प्राप्त होता है।[14] साक्ष्य को वैध रूप से शपथ पर लिया जाता है तथा लिया जा सकेगा।[15] विधिनुसार पेश किये गये साक्ष्य तथा किये गये निवेदनों के बारे मे विचार करने पर निर्णय देने का दायित्व होता है।[16]

4. सफलता के कारक

मूट कोर्ट में सफलता के लिए बहसकर्ताओं को निम्नलिखित बातों पर विशेष ध्यान देना होगा-

(1) वाद की तैयारी

किसी वाद की तैयारी और उसका प्रस्तुतीकरण एक कला है जिसे अभ्यास से प्राप्त किया जाता है। वे सफलता मे सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं।

वाद की तैयारी में सबसे महत्वपूर्ण तथ्यों का चयन किया जाना चाहिए और उन्हें स्मरण रखना चाहिए। इससे बहसकर्ता, जब कभी उससे तथ्यों को प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जायेगी, तथ्यों

UNITED SECULAR SOCIETY

को प्रस्तुत करने में समर्थ होगा। यह उसे आत्मविश्वास भी प्रदान करेगा। घटनाओं को व्यवस्थित किया जाना चाहिए। और उन्हें तिथि- वार (date wise) दर्ज किया जाना चाहिए। सुसंगत दस्तावेजों का भी सतर्कतापूर्वक अध्ययन किया जाना चाहिए। विपक्षी के पक्ष में आधार तथा बचाव का भी सतर्कतापूर्ण ढंग से अध्ययन किया जाना चाहिए और प्रति तर्कों की व्यवस्थित ढंग से तैयारी की जानी चाहिए।

किसी वाद का अध्ययन करने में सम्पूर्ण रिपोर्ट का प्रारम्भ से अन्त तक सतर्कतापूर्ण अध्ययन करना चाहिए। वाद के तथ्यों का भी अध्ययन किया जाना चाहिए क्योंकि इससे वाद में निर्दिष्ट विधि के सिद्धान्त के विस्तार को समझने में सहायता प्राप्त होगी।

II न्यायालयों की श्रेणियाँ और अधिकारिता

III अभिवचन

IV परीक्षा एवं प्रतिपरीक्षा की कला

UNITED SECULAR SOCIETY

V बहस की तैयारी (Preparation of Arguments).

बहस की तैयारी तथा रीति सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है और इसलिए बहसकर्ताओं को उन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जहाँ तक बहस की तैयारी का सम्बन्ध है बहसकर्ता से यह अपेक्षा की जाती है कि वह पक्षकारों के अभिवचनों तथा सुसंगत दस्तावेजों के बारे में पूर्ण जानकारी रखेगा। उसे साक्ष्यों द्वारा दिये गये तथ्यों एवं साक्ष्यों के सम्बन्ध में स्वीकृतियों तथा प्रत्याख्यानों से भी परिचित होना चाहिए। उसे वाद में अन्तर्ग्रस्त विवादको पर नवीनतम निर्णयज विधी की जानकारी रखनी चाहिए। बहस के बिन्दुओं को दर्ज किया जाना चाहिए तथा तथ्य एवं विधी को प्रत्येक बिन्दु पर लिखा जाना चाहिए ताकि समस्त सुसंगत बिन्दुओं को बहस के समय प्रस्तुत किया जा सके और कोई भी बिन्दु बहस से छूटने ना पाये। उसे धीरे-2 और स्पष्ट रूप से बोलना चाहिए। उसे अपने स्वभाव पर पूर्ण नियंत्रण रखना चाहिए और यदि उसके अभिभावक

को स्वीकार नहीं किया जाता है, तो उसे क्रोधित नहीं होना चाहिए।

वाद की बहस के दौरान सबसे ठोस बिन्दुओं पर बल दिया जाना चाहिए और कमजोर बिन्दुओं को, जहाँ तक सम्भव हो, इस तरीके से नहीं उठाया जाना चाहिए कि उन पर न्यायालय का ध्यान आकर्षित हो। सबसे ठोस बिन्दु पर तब तक बहस करते रहना चाहिए जब तक न्यायालय का उन्हें अच्छी तरह समझ जाना प्रकट ना हो। प्रत्येक विवाद्यकों पर बहस लिखी रहनी चाहिए। साक्षियों के नामों तथा विवाद्यकों के समर्थन मे दस्तावेजों को स्पष्ट रुप से दर्ज नहीं किया जाना चाहिए।

UNITED SECULAR SOCIETY

:- मूट कोर्ट का संचालन करने की रीति

मूट कोर्ट का संचालन कई प्रकार से किया जा सकता है। इसके संचालन के तरीको के लिये निम्न बिन्दुओं को समझना अति आवश्यक है।

(क) :- मूट कोर्ट के संचालन का पहला तरीका यह हो सकता है कि कोई काल्पनिक वाद तैयार किया जाये, और कुछ विद्यार्थियों को वाद के एक पक्षकार की ओर से पैरवी करने का कार्य सौंप दिया जाये।

(ख) :- मूट कोर्ट संचालित करने का एक तरीका यह भी है कि विधि के किसी विशेष विषय बिन्दुओं पर विद्यार्थियों को बोलने का अवसर उस विधि के पक्ष मे तथा विपक्ष मे बोलने के लिए विद्यार्थियो को जो तैयारी करने के लिए अन्तिम समय प्रदान किया जाए, इसकी व्यवस्था करता है। विद्यार्थियो को अपने मत के समर्थन मे मान्यता प्राप्त जनरल शोध लेखको के लेख एवम अन्य आवश्यक पुस्तके प्रस्तुत करने का भी उचित अवसर प्रदान करना चाहिए। इन्हे लिखित तर्कों के साथ-साथ मौखिक बहस करने का प्रावधान करना चाहिये।

(ग) :- एक अन्य उपाय यह भी है कि वास्तव मे विनिश्चय वादो पर भी बहस की व्यवस्था करायी जा सकती है। महत्वपूर्ण वादो के पक्ष मे और विपक्ष मे बोलने का कार्य विद्यार्थियो को उस वाद मे किये गये न्यायालय के निर्णय के पक्ष और विपक्ष मे बोलने का अवसर प्रदान किया जाना

UNITED SECULAR SOCIETY

चाहिये। इस प्रक्रिया मे यह विशेष भी ध्यान से रखना चाहिये की न्यायालय का अपमान न होने पाये निर्णय पर पक्ष और विपक्ष मे तर्क किया जाना चाहिये, निर्णय देने वाले न्यायधीश के चरित्र पर लांछन नही लगाना चाहिये।

(घ):- वकालत के पेशे मे सफलता प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि वाद की उचित ढंग से तैयारी की जानी चाहिये।

वाद को उचित प्रकार से प्रस्तुत करने के लिये आवश्यक है कि वाद के तथ्य की भली-भांति जाँच एवं अध्यन कर लेना चाहिये क्योंकि इससे आत्म-विश्वास पैदा होता है। प्रत्येक काम की प्रक्रिया का मार्ग होता है।

वादो (निर्मित) का हवाला भी एक कोला है वाद में विजय प्राप्त करने के लिए भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आधिवक्ता को वाद मे अंतर्ग्रस्त बिन्दु पर समस्त सुसंगत वादो का ज्ञान होना चाहिए।

आधिवक्ता को हमेशा ध्यान देना चाहिये कि प्रतिपक्षी पक्षकार का आधिवक्ता अपने मुवक्किल के पक्ष मे अपनी ओर से पूर्वनिर्मित प्रस्तुत करेगा और इस कारण उसे केवल उन्ही वादों का ज्ञान नहीं होना चाहिये बल्कि उनका ज्ञान भी होना चाहिये जो कि पक्षपाती प्रतिपक्षी पक्षकार का आधिवक्ता अपने मुवक्किल के पक्ष मे प्रस्तुत करेगा

इस प्रकार सुसंगत बिन्दु पर सारे सुसंगत वादों का ज्ञान होना आवश्यक है। यह उल्लेखनीय है कि कम से कम परन्तु सुसंगत वादो का हवाला बेहतर माना जाता है।

UNITED SECULAR SOCIETY

अतः बहुत अधिक वादो के स्थान पर कम परन्तु सुसंगत वादो का अनुसरण करना बेतर है, सर्वोत्तम और सुसंगत वादो का चयन करना बेहतर है।

उच्चतम न्यायालय के वाद-पत्र विशेष रूप से ध्यान देने चाहिये। यदि किसी अध्ययन वाले वाद मे दिया गया निर्णय पक्ष मे ना हो तो उसका भी तैयार किया जाना चाहिये।

यदि किसी वाद मे दिये गये निर्णय की आलोचना करनी हो तो उसकी आलोचना की जा सकती है। परन्तु जिस न्यायधीश ने वह निर्णय दिया है, उसकी आलोचना नहीं होनी चाहिये।

मूट कोर्ट विधि विद्यार्थियो के लिए अत्यन्त जरूरी है। भविष्य मे सफल अधिवक्ता बनने के लिए अत्यन्त महत्व है। इसमे विधि को मुकदमे को पहचानने के लिए उनको विनिश्चित करने के लिये और उन पर विधि सामग्री एकत्र करने व पेश करने का अवसर प्राप्त होता है।

वाद प्रस्तुत करने और उन पर विधि सामग्री एकत्र करने के लिये कौशल का ज्ञान प्राप्त होता है। बोलने व हिचकिचाहट व भय भी समाप्त हो जाता है। न्यायालयो मे किसी प्रकार का आचरण करना चाहिये। इससे न्यायालय की प्रक्रिया की जानकारी

UNITED SECULAR SOCIETY

हो जाती है। जो कि भविष्य मे वकालत के पेशे मे सफलता मे सहायक होती है।

मूट-कोर्ट मे भाग लेने के लिये, भाग लेने वाले विद्यार्थीयो को सुसंगत - विधि को जानकारी होनी चाहिये। उन्हे अन्य विधियो की जानकारी होनी चाहिए।

उन्हे अन्य विद्यार्थीयो को विधियो के साथ ही ज्ञान - पत्र तैयार करने, लिखित कथन तैयार करने, साक्षियो की परिहता और प्रतिरक्षा की कला का ज्ञान होना चाहिये।

UNITED SECULAR SOCIETY

मूट कोर्ट समस्या न० 1 :- (दीवानी)

अन्तर्गत धारा – 125 दण्ड प्रक्रिया संहिता :-

न्यायालय श्री मान मुख्य महानगर दण्डाधिकारी, कड़कड़डूमा कोर्ट, दिल्ली।

वाद संख्या 56/2011

बेगम "अ" पत्नि "स" निवासी .... थाना ..... जिला .....

बनाम

श्री "स" पुत्र "ग" निवासी ...... थाना ...... जिला ...... दिल्ली

वादि 125 cr. P.C. / प्रार्थनी निम्न निवेदन करती है।

1. यह कि "अ" का विवाह "स" के साथ मुस्लिम विधि के अनुसार दिनांक 20/12/2010 को सम्पन्न हुआ।

2. यह कि "स" की पत्नि "अ" को, "स" द्वारा सभी सुख सुविधा मिली।

3. "अ" ने "स" के साथ 35 वर्ष तक सुख पूर्वक दाम्पत्य जीवन का निर्वाह किया।

UNITED SECULAR SOCIETY

4:- यह कि 'अ' ने एक आदर्श पत्नि की तरह 'स' के प्रति अपने वैवाहिक जीवन का इमानदारी पूर्वक पालन किया।

5:- इसके बावजूद भी 'स' ने 'अ' को तलाक के आधार पर तलाक दे दिया यानि कि तीन बार तलाक दिया।

6:- यह स्वाभिक बात है कि 'अ' भरण पोषण पाने की अधिकारणी है क्योंकि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-125 के अनुसार जिसमें तलाक शुदा पत्नि भी आती है। और जिसने पुर्नविवाह नहीं किया हो, भरण-पोषण पाने की अधिकारणी है।

7:- "अ" का "स" से पत्नि का सम्बन्ध होने के नाते "स" भरण पोषण देने के लिए बाध्य है।

8:- वह पत्नि भरण-पोषण पा सकती है जो अशिक्षित तथा ~~और~~ शारीरिक रूप से भरण-पोषण करने मे असमर्थ है। ये दोनो बाते 'अ' पर लागू होती है दण्ड-प्रक्रिया संहिता धारा - 125.

9:- भरण-पोषण को परिभाषित करती है जो सभी पत्नीयों को मिलना चाहिये।

10:- यह एक स्भाविक व सहज सी बात है कि भरण-पोषण उसके निकट सम्बन्धियो से ही मिलता है।

UNITED SECULAR SOCIETY

I उदाहरण के स्वरूप :-

पिता अपने बच्चो का भरण-पोषण करेगा जब तक वह बालिक ना हो जाये। वह पुत्री का भरण-पोषण करेगा जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती। शादी हो जाने के बाद उसका निकटम सम्बन्धी पति हो जाता है। इसलिये "अ" "स" से भरण-पोषण पाने की अधिकारी है।

II पत्नि का पति से भरण-पोषण पाने का अधिकार नेचुरल है अतः "अ" का पति "स" से भरण-पोषण पाने का अधिकार प्राकृतिक है।

समस्या ->

एक मुस्लिम महिला कह रही है कि उसकी शादी (निकाह) मुस्लिम धर्म के अनुसार हुई है। विवाहित जीवन के 35 वर्ष गुजरने के बाद "स" ने उसे तीन बार तलाक दे दिया है और अब "अ" "स" से भरण पोषण की मांग कर रही है।

सम्मिलित प्रश्न :-

(1) क्या मुस्लिम स्त्री तलाक और इददत के बाद भरण-पोषण की अधिकारणी है।

(2) क्या दण्ड-प्रक्रिया संहिता की धारा-125 मुस्लिम तलाकशुदा स्त्री पर लागू होता है।

(3) दण्ड-प्रक्रिया संहिता की धारा-125 के अन्तर्गत मुस्लिम तलाक शुदा-स्त्री को सुरक्षा क्यों नहीं मिली है।

UNITED SECULAR SOCIETY

(4) प्रावधान :-

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा -125 पत्नि, संतान और माता - पिता के भरण पोषण के लिये आदेश :-

यदि पर्याप्त साधनों वाला कोई व्यक्ति

(क) अपनी पत्नि का जो अपना भरण - पोषण करने मे असमर्थ हो या

(ख) अपनी धर्मज या अधर्मज संतान का (जो विवाहित पुत्री नहीं है) जिसने वयस्कता प्राप्त कर ली है जहाँ ऐसी संतान किसी शारीरिक या मानसिक असमानता या क्षति के कारण अपना भरण - पोषण करने मे असमर्थ हो या

(ग) अपनी धर्मज या अधर्मज आवश्यक संतान का चाहे विवाहित हो या ना हो या

(घ) अपने पिता या माता का जो अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ है ।:-

भरण - पोषण करने मे अपेक्षा करता है या इंकार करता है जो या तो प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट ऐसी अपेक्षा या इंकार के साबित हो जाने पर, ऐसे व्यक्ति को निर्देश दे सकता है कि वह ऐसी पत्नि या संतान, पिता या माता के भरण-पोषण के लिये ऐसी मासिक दर पर, जैसे मजिस्ट्रेट ठीक समझे मासिक भत्ता दे और उस भत्ते का संदाय ऐसे व्यक्ति को दे जिसका संदाय करने का मजिस्ट्रेट समय - समय पर निर्देश दे ।

UNITED SECULAR SOCIETY

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा - 126 :- प्रक्रिया :-

(1) किसी व्यक्ति के विरुद्ध धारा - 125 के आधीन कार्यवाही किसी ऐसे जिले मे की जा सकती है।

(क) जहाँ वह है, अथवा

(ख) जहाँ वह या उसकी पत्नि निवास करती है अथवा

(ग) जहाँ उसने अन्तिम बार, यथास्थिति, अपनी पत्नि के साथ या अधर्मज सन्तान की माता के साथ निवास किया है।

(2) ऐसी कार्यवाही मे सब साक्ष्य ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति मे जिसके विरुद्ध भरण - पोषण के संदाय का आदेश देने की प्रार्थना है अथवा जब उसकी वैयक्तिक हाजरी से अभिमुक्ति दे दी गई है तब उसके लीडर की उपस्थिति मे लिया जायेगा और रीति से अभिलिखित किया जायेगा, जो समन मामलों के लिये विहित है।

परन्तु यदि मजिस्ट्रेट को समाधान हो जाये कि ऐसा व्यक्ति जिसके विरुद्ध भरण - पोषण के संदाय का आदेश देने की प्रस्थापना है, तामिल से जानबूझ कर जच रहा है अथवा न्यायालय मे हाजिर होने से जानबूझ कर अपेक्षा कर रहा है तो मजिस्ट्रेट मामले के एक पक्षीय रूप मे सुनने और अवधारणा करने के लिये अग्रसर हो सकेगा और ऐसे दिया गया कोई आदेश उसकी तारीख से मास

UNITED SECULAR SOCIETY

अन्दर किये गये आवेदन पर दर्शित अच्छे कारण से ऐसे निबन्धनो के आधीन जिनके अन्तर्गत विरोधी पक्षकार को खर्चे के संदाय के बारे मे निबन्धन भी है जो मजिस्ट्रेट न्यायोचित और उचित समझे अपास्त किया जा सकता है।

धारा-125 के अधीन आवेदनो पर कार्यवाही करने मे न्यायालय को शक्ति होगी कि वह खर्चो के बारे मे ऐसा आदेश दे जो न्याय संगत है।

धारा-127 दण्ड प्रक्रिया संहिता : भत्ते मे परिवर्तन :-

(1) धारा-125 के अधीन भरण-पोषण के लिए अथवा अंतरिम भरण-पोषण के लिए मासिक भत्ता पाने या यथास्थिति अपनी पत्नी या सन्तान, माता-पिता के मासिक भत्ता देने के लिए उसी धारा के अधीन किसी व्यक्ति की परिस्थिति मे तब्दील कर सकता है, जो वह ठीक समझे।

(2) जहाँ मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत हो कि धारा-125 के अधीन दिया गया कोई आदेश कि सक्षम सिविल न्यायालय के अधीन किसी विनिश्चय के परिणाम स्वरूप रद्द या परिवर्तन किया जाना चाहिये। वहाँ वह यथास्थिति उस आदेश को तदनुसार रद्द कर देगा या परिवर्तित कर देगा।

(3) जहाँ धारा-125 के अधीन कोई आदेश स्त्री के पक्ष मे जारी किया गया है, जिसमे पति ने उससे विवाह विच्छेद प्राप्त कर लिया है यदि

UNITED SECULAR SOCIETY

मजिस्ट्रेट को यह समाधान हो जाता है कि :-

(क) उस स्त्री ने ऐसे विवाह विच्छेद की तारीख के बाद पुनः विवाह की तारीख से रद्द कर देगा।

(ख) उस स्त्री के पति ने उससे विवाह विच्छेद कर लिया है और उस स्त्री ने उक्त आदेश के पूर्व या बाद में वह पूरी धनराशि प्राप्त कर ली है जो पक्षकारो को लागू किसी रूढि जन्म या स्वीय विधि के अधीन ऐसे विवाह विच्छेद पर देय थी जो वह ऐसे आदेश को :-

(1) उस दशा मे जिसमे ऐसी धनराशी ऐसे आदेश से पूर्व दे दी गयी थी, उस आदेश के दिये जाने की तारीख से रदद कर देगा।

(2) किसी अन्य दशा मे उस अवधि की, यदि कोई हो, जिसके लिए पति द्वारा, उस स्त्री को वास्तव में भरण-पोषण दिया गया है, समाप्ति की तारीख से रद्द कर देगा।

(ग) उस स्त्री ने अपने पति से विवाह विच्छेद प्राप्त कर लिया है और उसने अपने विवाह विच्छेद को बाद अपने (भरण-पोषण) या अंतरिम भरण-पोषण जैसी भी स्थिति हो आदेश को उसकी तारीख से रदद कर देगा।

UNITED SECULAR SOCIETY

(घ):- किसी भरण पोषण या दहेज की, किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसने धारा -125 के अधीन कोई (भरण -पोषण या अंतरिम संदाय किये जाने का कोई आदेश) दिया गया है। वसूली के लिये डिक्री करने के समय सिविल न्यायालय उस राशी की भी गणना करेगा जो ऐसे आदेश के अनुसरण मे (भरण -पोषण या अंतरिम भरण -पोषण या उनमे से किसी के लिये मासिक भत्ते के रूप मे) उस व्यक्ति को संदाय की जा चुकी है या उस व्यक्ति द्वारा वसूली की जा चुकी है।

धारा -128 दण्ड प्राक्रिया संहिता :-

भरण -पोषण या अन्तरिम भरण-पोषण और कार्यवाहियो के खर्चे का आदेश का प्रवर्तन :-

अन्तरिम भरण -पोषण और कार्यवाहियो के खर्चे, जैसे भी स्थिति हो, के आदेश के प्रति, उस व्यक्ति को, जिसके पक्ष मे वह दिया गया है या उसके संरक्षक को, यदि कोई हो, या उस व्यक्ति को, जिसके (भरण -पोषण या अंतरिम भरण - पोषण के लिए भत्ता और कार्यवाहियो के खर्चो, जैसे भी स्थिति हो दिया जाना है निशुल्क: दी जायेगी और ऐसे आदेश का प्रवर्तन किसी ऐसे स्थान मे जहाँ वह व्यक्ति है, जिसके विरूद्व वह आदेश दिया गया था, किसी मजिस्ट्रेट द्वारा पक्षकारो के पहचान बारे मे और (भत्ते या

UNITED SECULAR SOCIETY

देन खर्चो, जैसी भी स्थिति हो) को ना दिये जाने के बारे मे ऐसे मजिस्ट्रेट को समाधान हो जाने पर किया जा सकता है।

अनुच्छेद – 14 :–

अनुच्छेद -14 यह उपबन्धित करता है कि भारत राज्य क्षेत्र मे किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता से अथवा विधियो को समान संरक्षण से राज्य द्वारा वंचित नही किया जायेगा।

इस अनुच्छेद मे दो वाक्यशों का उपयोग किया है: "विधि के समक्ष समानता तथा दूसरा विधियो के समान संरक्षण " विधि के समक्ष समानता तथा दूसरा विधियो के समान नकारात्मक वाक्यांश है जिसका तात्पर्य है समान परिस्थिति वाले व्यक्तियो के साथ विधि द्वारा दिये गये विशेषाधिकारियो तथा आरोपित कर्तव्यो दोनो को मामलो मे समान व्यवहार किया जायेगा और हर व्यक्ति देश को साधारण विधि के अधीन होगा।

विधि का समान संरक्षण ->

वाक्यांश समानता का स्वीकारात्मक रूप है जिसका तात्पर्य है कि समान परिस्थिति वाले हर व्यक्ति के साथ समान व्यवहार करना उचित समान कानूनो को लागू करना, किन्तु यदि ध्यान पूर्वक देखा जाये तो दोनो वाक्यांशो मे एक ही उद्देश्य निहित है और वह है एक समान न्याय !

अनुच्छेद : 21 :–

अनुच्छेद -21 यह उपबन्धित करता

UNITED SECULAR SOCIETY

स्वतंत्रता से किसी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जायेगा अन्यथा नहीं"। "प्राण एवं दैहिक स्वतन्त्रता का अधिकार सभी अधिकारों में श्रेष्ठ है," और अनुच्छेद -21 इसी अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है।

अनुच्छेद -21 में प्रयुक्त "दैहिक स्वतन्त्रता पदावली प्रर्याप्त विस्तृत अर्थ वाली पदावली है और इस रूप में, इसके अन्तर्गत दैहिक स्वतन्त्रता के सभी आवश्यक तत्व शामिल हैं।

न्यायालय के अनुसार "दैहिक स्वतन्त्रता का अधिकार केवल शारीरिक स्वतन्त्रता" प्रदान करने तक सीमित नहीं है जिसके अन्तर्गत यह भी अधिकार शामिल है जो व्यक्ति को दैहिक स्वतन्त्रता को पूर्ण बनाते हैं।

अनुच्छेद -25 :-

अनुच्छेद-25 को अधीन व्यक्ति के दो प्रकार के अधिकार प्राप्त हैं।

अन्तकरण की स्वतन्त्रता :-

(1) धर्म को अवैध मानने आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता आंतरिक स्वतंत्रता से है। जिसके माध्यम से व्यक्ति ईश्वर के साथ अपनी मर्जी से सम्बन्धों को स्थापित करता है। यह स्वतन्त्रता जब बाहरी रूपों में व्यक्त की जाती है तो उसे धर्म का मानक और प्रचार करना चाहते हैं।

UNITED SECULAR SOCIETY

Session 2016-17

"धर्म के मानने" से तात्पर्य है कि व्यक्ति द्वारा अपने धर्म के प्रति श्रद्धा स्वतन्त्रतापूर्वक और खुले-आम घोषित करना।

अनुच्छेद -25 (ii) प्रत्येक नागरिक को अन्तकरण की स्वतन्त्रता की गारन्टी करता है। वह केवल अपने विशेष धर्म को अनुसरण करने का अधिकार प्रदान नहीं करता है।

अनुच्छेद -26 :- धार्मिक कार्यों के प्रबन्ध की स्वतन्त्रता सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुये प्रत्येक धार्मिक सम्प्रदाय या उसके किसी वर्ग को अनुच्छेद -26 के अधीन निम्नलिखित अधिकार होगा।

(क) धार्मिक और पूर्व प्रयोजनों के लिये संस्थानों की स्थापना और पोषण का।

(ख) अपने धार्मिक कार्यों सम्बन्धी विषयों का प्रबन्ध करने का

(ग) जंगम और स्थावर सम्पति के उपार्जन और स्थापित का

(घ) ऐसे सम्पति के विधि अनुसरण प्रशासन करने का
अनुच्छेद -25 मे अधिकार व्यक्ति को प्रदान किये गये हैं जबकि अनुच्छेद -26 मे अधिकार का प्रयोग संगठित संस्था जैसे धार्मिक सम्प्रदाय या उसके किसी वर्ग को प्रदान किये गये हैं। धार्मिक सम्प्रदाय का तात्पर्य व्यक्तियों के ऐसे समूह से है जो एक

UNITED SECULAR SOCIETY

विशेष नाम के अन्तर्गत संगठित होते हैं, जो सामान्यत: एक धार्मिक सम्प्रदाय या संस्था होती है, जिसका किसी विशेष धर्म मे विश्वास होता है।

अनुच्छेद -27 :-

किसी विशेष धर्म की उन्नति के लिये कर ना देने की स्वतन्त्रता :-

अनुच्छेद -27 यह उपबन्धित करता है कि कोई भी व्यक्ति किसी विशेष धर्म अथवा सम्प्रदाय की उन्नति के लिये कर देने के लिये बाध्य नहीं किया जायेगा।

यह अनुच्छेद राज्य की धर्म निरपेक्षता के और भी अधिक स्पष्ट कर होता देता है, राज्य के रूप मे एकत्रित किये गये जनता के धन को विशेष धर्म की उन्नति के लिए खर्च नहीं कर सकता है।

अनुच्छेद -28 :- राज्य पोषित शिक्षण संस्थाओं मे धार्मिक या उपासना का प्रतिषेध :-

अनुच्छेद -28 (1) यह उपबन्धित करता है कि राज्य निधि से पूरी तरह पोषित किसी शिक्षा संस्था मे कोई धार्मिक या शिक्षा नहीं दी जायेगी। यह खण्ड उन शिक्षा संस्थाओ पर लागू नहीं होता है, जिनका प्रशासन राज्य करता होत, किन्तु जो किसी ऐसे धर्मस्व या न्यास के अधीन स्थापित हुई है, जिनके अनुसार उन संस्थाओ मे शिक्षा देना आवश्यक है तो उसके संरक्षक ने इसके लिए अपनी सम्पत्ति ना दे दी हो।

UNITED SECULAR SOCIETY

मू (समस्या) संख्या - 02 (दीवानी)

मुस्लिम विवाह की प्राकृति :-

मुस्लिम विवाह की प्राकृति के विषय मे विभिन्न विचार है।

कुछ विधि शास्त्रीयो के अनुसार मुस्लिम विवाह पूर्व रूपेण एक सिविल संविदा है, जबकि अन्य विधि शास्त्रीयो ने इसे एक संस्कार की प्राकृति जैसा हो।

कुछ लेखको और विधि शास्त्रियो ने इसे केवल सिविल संविदा कहा है। और उनके अनुसार यह संस्कार नहीं है। यह विचार इस तथ्य पर आधारित है कि संविदा के सभी आवश्यक तत्व मुस्लिम विवाह मे मिलते है जैसे कि:-

(1). विवाह मे संविदा जैसे प्रस्ताव एक पक्षकार द्वारा और दूसरे पक्ष द्वारा स्वीकृति होना जरूरी है। इसके अलावा शादी कभी भी स्वतंत्र सहमति प्रपीडन, कपट अथवा असम्यक प्रभाव द्वारा नहीं प्राप्त होनी चाहिये।

(2.) यदि कोई संविदा की और से उसका अभिभावक करता है तब आवश्यक को यह अधिकार होता है कि वह उसको वयस्क होने के बाद उसे निरस्त कर सकता है। ठीक उसी प्रकार मुस्लिम विधि के अनुसार वयस्क होने के बाद शादी निरस्त हो सकती है यदि अवयस्कता की अवधि मे संरक्षक द्वारा दी गई है।

(3). यदि मुस्लिम विवाह के पक्षकार विवाह संस्कार के बाद ऐसा अनुबन्ध करते है जो और इस्लाम विधि की नीतियो के विरूद्ध ना हो जब

UNITED SECULAR SOCIETY

स्थिति संविदा मे होती है। व्यक्तिगत हितो के अनुकूल शादी सम्बन्धित शर्तो मे विधिक सीमा के अन्तर्गत परिवर्तन किया जा सकता है।

(5). अन्य संविदा के समान शादी सम्बन्धित संविदा के उल्लंघन हेतु प्रावधान विहित है यद्यपि पवित्र कुरान और हदीस मे इसकी आलोचना की गई है।

"अब्दुल कदीर बनाम सलीमा AIR 1846 इलाहबाद-14"
न्यायधीश महमूद और न्यायधीश गिलट ने सवरून्निसा के बाद मे मुस्लिम विवाह को संविदात्मक दायित्व के रूप मे बल दिया है और मुस्लिम विवाह को विश्व संविदा के समान बताया है। मुस्लिम विवाह की प्रकृति का वर्णन करते हुए न्यायधीश महमूद ने कहा है अपितु यह पूर्णरूप से यह सिविल संविदा है, यद्यपि सामान्य रूप से शादी सम्पन्न होते समय कुरान का उपठन किया जाता है फिर भी मुस्लिम विधि मे इस विशेष अवसर के लिये विशेष अवसर के लिये विशेष सेवा सम्बन्धित कोई प्रावधान नही है।

उपर्युक्त विवेचना के अनुसार यह नही कहा जा सकता है। कि न्यायधीश महमूद ने मुस्लिम विवाह को केवल सिविल संविदा के रूप मे प्रतिपादित किया है।

न्यायधीश मिहर ने सबकानिशा के मामले मे उच्च न्यायालय का निर्णय देते हुए कहा कि:

"मुस्लिम विधि मे विवाह एक विक्रय संविदा के समान एक सिविल संविदा है। विक्रय मे मूल्य के बदले सम्पत्ति का अंतरण होता है, विवाह की संविदा

एक दूसरा विचारण यह है कि विवाह पूर्णरूप से एक सिविल संविदा नहीं है। अपितु एक धार्मिक संस्कार भी है यद्यपि धार्मिक प्रकृति को केवल एक प्राचीन विचार कहा जा सकता है। लेकिन यह विचार न्यायालय द्वारा भी पुष्ट किया गया है।

"अनीस बेगम बनाम मौ० इस्तफा 1335 इलाहबाद 743" इसमे मुख्य न्यायधीश शाह सुलेमान ने एक अत्यन्त सन्तुलित दृष्टिकोण अपनाते हुए यह निर्धारित किया है कि मुस्लिम विवाह एक सिविल संविदा और एक धार्मिक संस्कार है।

तलाक :- अरबी मे तलाक शब्द का अर्थ होता है :-

"निराकरण करना या नामन्जूर करना" परन्तु मुस्लिम विधि के अन्तर्गत इसका अर्थ वैवाहिक संबंध से मुक्ति करना है। यह हर प्रकार के विवाह विच्छेद का एक व्यापक नाम है। मुस्लिम विधि मे कोई स्वस्थचित एवम वयस्क पति अपनी पत्नी को बिना कोई कारण बताये अपनी इच्छा से जब चाहे तब तलाक दे सकता है। इनकी विधि के अन्तर्गत विवशता या नशे मे दिया गया तलाक वैध और प्रभावी होता है। शिया लोग तलाक देते समय दो साक्षियो की उपस्थिति को जरूरी समझते है।

UNITED SECULAR SOCIETY

तलाक के प्रकार :-

तलाक निम्न प्रकार का होता है।

(1) तलाक उल सुन्नत

(i) तलाक ए अहसन

(ii) तलाक ए हसन

(2) तलाक उल बिद्दत

(i) इला

(ii) जिहर

(iii) प्रत्यायोजित तलाक

1. तलाक उल सुन्नत :-

यह तलाक पैगम्बर साहब की परम्परा के अनुसार कार्यान्वित किया जाता है, इसके दो उदाहरण निम्न प्रकार है।

(i) अहसन :- इस अरबी शब्द का अर्थ होता है सर्वश्रेष्ठ या अति उत्तम। इससे यह स्पष्ट होता है कि अहसन रिति मे दिया गया तलाक सबसे उत्तम है।

(ii) हसन :- अरबी मे हसन शब्द का अर्थ होता है - अच्छा

२. तलाक उल बिद्दत :-

इसे तलाक उल-बेन के नाम से भी जाना जाता है। तलाक की यह रीति नीचे लिखी बातो की अपेक्षा करती है।

UNITED SECULAR SOCIETY

(i) एक ही तुहर काल के दौरान किये गये तीन उच्चारण चाहे से (वाक्य) उच्चारण एक ही वाक्य मे है जैसे :- मै तुम्हे तीन बार तलाक देता हूँ अथवा चाहे ये उच्चारण तीन वाक्यो मे हो जैसे :- मै तुम्हे तलाक देता हूँ, मै तुम्हे तलाक देता हूँ, मै तुम्हे तलाक देता हूँ।

(ii) एक ही तुहर काल मे दिया गया एक ही उच्चारण जिसमे अनिवर्तनीय (रद्द न हो सकने वाला) विवाह विच्छेद का आशय साफ प्रकट है जैसे :- मै तुम्हे अनिवर्तनीय रूप मै तलाक देता हूँ।

इद्दत की अवधि :-

(i) तलाक के द्वारा विवाह विच्छेद मे तीन चन्द्रमास या तीन मासिक धर्म, यदि स्त्री गर्भवती है तो बच्चा होने तक जो भी अवधि लम्बी हो, विधवा हो जाने पर चार महीने दस दिन, यदि

(ii) विधवा गर्भवती हो तो बच्चा होने तक जो भी अवधि लम्बी हो।

बहस – ARGUMENT पक्ष मे :-

मुस्लिम तलाक शुदा पत्नी को अपने पति से जीवन भर भरण-पोषण प्राप्त करने का अधिकार है।

1. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-125 के प्रावधान के अनुसार भारत वर्ष मे रहने वाली सभी महिलाओ को चाहे वह किसी भी धर्म की हो, अपने पति से

UNITED SECULAR SOCIETY

भरणपोषण प्राप्त करने का अधिकार है। उक्त धारा-125 एक समान रूप से लागू होती है। धारा-125 के अन्तर्गत तलाक शुदा पत्नी भी आती है।

2. मुस्लिम पत्नी का अपने पति से भरण-पोषण का अधिकार प्राप्त करना भारतीय संविधान के अनुच्छेद-21 जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है से सुसंगत है क्योंकि भरण पोषण के अभाव मे मुस्लिम पत्नी का जीवन ही समाप्त हो जाता है जिससे अनुच्छेद-21 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकार का स्पष्ट हनन होता है।

यदि पत्नी का भरण-पोषण का अधिकार केवल इददत तक ही सुनिश्चित होता है तो इददत की अवधि के बाद भरण-पोषण का अधिकार के अभाव मे उसका जीवन बाधित हो जायेगा।

उक्त स्थिति मे धारा-125 Cr.P.C. को संविधान के अनुच्छेद-21 के साथ पढा जाना चाहिये। अत: यदि प्रतिवादी यह कहे कि इददत अवधि तक ही मुस्लिम पति द्वारा ही भरण-पोषण दिया जाना चाहिये तो यह न्यायोचित नहीं है क्योंकि अनुच्छेद-21 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकार का हनन होगा।

3. भारतीय संविधान के अनुच्छेद-14 के अधीन समस्त व्यक्तियो को समानता का अधिकार (विधि के समक्ष समता एवम विधियो के समान संरक्षण) प्राप्त है।

CHECKED

उक्त अनुच्छेद के परिपेक्ष मे सभी महिलाओ को चाहे वह किसी भी धर्म की हो,

भरण-पोषण पाने का अधिकार ही नही अपितु उनके पक्ष मे उक्त अधिकारो को क्रियान्वित किया जाना चाहिये।

मुस्लिम पत्नी को इददत अवधि के बाद प्रर्याप्त भरण-पोषण की धनराशी न दिया जाना उसके संवैधानिक अधिकार का घोर उल्लघन है।

अनुच्छेद -14 के प्रावधानो अनुसार व्यक्तियो के बीच कोई भी विभेद का किया जाना विवेकपूर्ण विभेद पर आधारित होना चाहिये। यह विवेकपूर्ण विभेद नही है। किसी वर्ग की महिलाओ के पक्ष मे दूसरा कानून लागू है।

5. यदि प्रतिवादी यह कहे कि गुजारा भत्ता दिये जाने से भारतीय संविधान अनुच्छेद -25 व 28 का उल्लघन होता है तो यह उचित नही है क्योकि धार्मिक स्वतन्त्रता का अर्थ मुस्लिम धर्म के अन्तर्गत धार्मिक अनुष्ठानो जैसे: नवाज पढना, रोजा रखना, अपनी कमाई का कुछ भाग गरीबो को दान करना आदि मात्र धार्मिक क्रियाओ तक ही सीमित कि इददत अवधि तक ही गुजारा भरण देना और उसके बाद भरण-पोषण न देना। मुस्लिम पत्नी को गुजारा भत्ता दिये जाने से मुस्लिम पति का धार्मिक स्वतन्त्रता का अधिकार हनन नही होता क्योकि मुस्लिम पत्नी का यह प्राकृतिक न्याय सिद्वान्त के समीप है तथा विधि शास्त्र के सिद्धान्त से भी अनुमति है।

किसी भी पत्नी का गुजारा भरण पाने का अधिकार एक निरपेक्ष अधिकार है जो किसी भी

UNITED SECULAR SOCIETY
MAHESH CHAND SHARMA
Assistant Professor
Jannat College of Law
Greater Noida

आड मे दबाया नहीं जाना चाहिए।

5- यह तकनीकी रूप से प्रतिवादी के धार्मिक स्वतन्त्रता के अधिकार का हनन भरण-पोषण प्रदान करने से भी लिया जाय अर्थात अनुच्छेद -25 का उल्लंघन होता है।

जो अनुच्छेद -21 के अन्तर्गत मुस्लिम पत्नी के जीवन एवम दैहिक स्वतन्त्रता के अधिकार का भी हनन होता है। गुजारा भत्ता ना दिये जाने से उसका जीवन ही समाप्त हो जायेगा। और उसके संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन होगा।

क्योंकि अनुच्छेद -21 के अनुसार प्रदत्त मौलिक अधिकार से महत्वपूर्ण है। अत: अनुच्छेद -21 के अन्तर्गत प्रदत मौलिक अधिकार है।

बहस - ARGUMENT - विपक्ष मे :-

(1). मुस्लिम विधि के अन्तर्गत ऐसी स्त्री, जिसका तलाक हो गया है। अपने पूर्व पति से इद्दत काल तक ही भरण-पोषण पाने की हकदार है।

(2). मुस्लिम पत्नी अपने पति से विवाह कायम रहने तक ही भरण-पोषण पाने की अधिकारणी है किन्तु यदि तलाक हो जाता है तो वह अपने पति से भरण- पोषण पाने की हकदार नहीं है।

(3). दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा -125 पत्नी मे तलाक शुदा पत्नी को भी परिभाषित करती है।

UNITED SECULAR SOCIETY

लेकिन धारा -125 मुस्लिम वैयक्तिक विधि का उल्लंघन करती है। इसलिये धारा -125 मुस्लिम विधि लागू नहीं होनी चाहिए।

4. मुस्लिम पति को तलाक के बाद अपनी तलाक शुदा पत्नी को भरण -पोषण देने का प्रावधान नहीं है, यदि ऐसा प्रावधान किया जाता है कि वह तलाक के बाद भी भरण -पोषण दे तो इससे संविधान के अनुच्छेद -25 के अन्तर्गत धार्मिक स्वतन्त्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा।

5. मुस्लिम महिला अधिनियम -1986 मे पत्नी को केवल इददत काल तक ही भरण -पोषण देने का अधिकार का प्रावधान किया गया है।

UNITED SECULAR SOCIETY

~~समस्या – २~~ :- मूट समस्या – 03 (दीवानी)

कालेज मे आरक्षण के लिये वाद :-

समक्ष माननीय स्वोच्चय न्यायालय, भारत।

दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार :-

स्पेशल लीव पिटीशन (सिविल) संख्या ..... / 2010

सुनील मोदी .... याचिका कर्त्ता

बनाम

भारत संघ .... उत्तरदाता - 1.
दिल्ली राज्य .... उत्तरदाता - 2.
निजी मेडिकल कालेज ...... उत्तरदाता - 3.

भारतीय संविधान के अनुच्छेद -32 के अन्तर्गत याचिका :-

सुनील एक अत्यन्त निर्धन अनुसूचित जाति का छात्र है। जो कि एक निजी मेडिकल कॉलेज मे दाखिला चाहता है परन्तु आरक्षण न होने का कारण वह MBBS कोर्स मे दाखिला नही ले पाता है तथा इसके पक्ष और विपक्ष मे तर्क :-

संदर्भित वाद :- कुमारी मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य (AIR 1992 कर्नाटक 1858)

UNITED SECULAR SOCIETY

विवाद्यक :- क्या शिक्षा का अधिकार एक मूलभूत अधिकार है यदि है तो क्या केपिटेशन फीस इस मौलिक अधिकार का उल्लंघन नही करती है।

2. क्या निजी कालेजो मे आरक्षण होना चाहिये ? क्या केपिटेशन फीस प्रवेश के समय सर्वथा अनुचित है।

3. क्या यह संविधान के अनुच्छेद -14 का उल्लंघन है।

पक्ष मे तर्क :-

(1) यह कि याचिका कर्ता जो कि एक निर्धन छात्र है। जो कि यह सूचना देता है कि निजी मेडिकल कॉलेज की उसमे प्रवेश हेतू अनुचित अनुसूचित जाति के आरक्षण हेतू निजी कालेजो मे प्रावधान नही है। उसे MBBS कोर्स मे दाखिला दिया जा सकता है।

(2) यह कि याचिका कर्ता भारतीय संविधान के अनुच्छेद -32 के अर्न्तगत याचिका दायर कर उत्तरदाता न० -2 से कोर्ट के समक्ष प्रश्नता है कि जो उसने निजी कालेजो मे पिछड़े वर्ग के छात्र - छात्राओं हेतू आरक्षण की व्यवस्था क्यो नही की है ? क्योकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद -15 मे अनुसूचित जाति व जनजाति हेतू विशेष उपबन्ध किया गया है।

UNITED SECULAR SOCIETY

3. यह कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद -21 के अनुसार प्रत्येक नागरिक को स्वतन्त्रता से जीने का अधिकार है।

जिसके अनुसार हर नागरिक को शिक्षित किया जाना अति आवश्यक है संविधान के अनुच्छेद -21 को न्यायिक रूप से न्यायपालिका द्वारा इतना विस्तृत कर दिया गया है कि जीवन तथा जीवन की स्वतन्त्रता से सम्बन्धित सभी अधिकार इस अनुच्छेद मे समाविष्ट है अतः यह कहा जाना कि शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जिसका ना दिया जाना अनुच्छेद -21 का घोर उल्लंघन है।

4. यह कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद -14 समानता के मौलिक अधिकार को बताते है जिसके अन्तर्गत नागरिकों के विभिन्न समूहो को समानता का स्तर प्रदान किया जाना अति आवश्यक है। एक तरफ राज्य अपने स्वयं द्वारा चलित कालेजो मे एक निश्चित शुल्क किये जाने का प्राविधान करता है तथा समूह की समानता मे आधारित पर उनमे आरक्षण की सुविधा प्रदान करता है, और वही दूसरी ओर प्राइवेट कालेजो मे कैपिटेशन फीस लिये जाने तथा अच्छे अंक वाले निर्धन S.C. व S.T छात्रो का प्रवेश दिये जाने से इंकार करता है। दोहरी नीति आनिवार्य रूप से मौलिक अधिकारो का शमन व उल्लंघन है तथा अनुच्छेद-14 का अति उल्लंघन है जिसका समाप्त किया जाना अनिवार्य है।

UNITED SECULAR SOCIETY

5. यह कि अनुसूचित जाति व जनजाति के नागरिको हेतु अनुच्छेद -15 मे विशेष प्रावधान किया गया है, साथ ही साथ अनुसूचित जाति तथा समाज के कमजोर वर्गों को पूरी तरह सुरक्षा प्रदान करता है। अनुच्छेद -14 के अनुसार राज्य ने जाति के लोगो के प्रति शैक्षिक व आर्थिक अधिकारो हेतु सुरक्षा प्रदान का प्रावधान सुनिश्चित किया गया है।

6. प्रार्थना :- माननीय महोदय से प्रार्थना है कि अनुसूचित जाति व जन जाति के छात्र -छात्राओ हेतु निजी कॉलेज मे प्रवेश हेतु आरक्षण किया जाय तथा कैपिटेशन फीस समाप्त की जाय।

विपक्ष मे तर्क :- बहस : AGAINST →

1. यह कि प्राइवेट कॉलेज मे प्रवेश हेतु जो छात्र मेरिट लिस्ट मे नही आते, उनका प्रवेश सीटो पर नही किया जा सकता क्योकि निजी कॉलेजो मे छात्रो को दो भागो मे वर्गीकृत किया गया है। पहला के छात्र जिनका प्रवेश मैनेजमेन्ट सीटो पर होगा। छात्रो से कैपिटेशन फीस लिया जाना इसलिये आवश्यक है, जिससे कॉलेज का विकास किया जा सके क्योकि विकास से ही कॉलेज के छात्रो का भविष्य और संवरता है। केन्द्र तथा राज्य द्वारा कॉलेज को कोई आर्थिक सहायक नही प्राप्त होगी इसलिये यह फीस ली जानी जरूरी है।

UNITED SECULAR SOCIETY

२. यह कि निजी कॉलेज पांच वर्षीय MBBS मे प्रति छात्र पर लग-भग २लाख रूपये खर्च करता है। इस निजी मेडिकल कॉलेज में 40%

3. यह कि कॉलेज मे प्रवेश हेतू सभी छात्रो से 25000/- फीस राशी के रूप मे लिये जाते है जो कि बहुत कम है अत: इसलिये निजी कॉलेज का आर्थिक भार मैनेजमेंट कोटे वाले प्रवेश लेने वाले छात्रो पर ज्यादा हो जाता है।

4. यह स्वीकार है कि हाल ही मे संशोधन द्वारा संविधान मे अनुच्छेद -21-A जोडा गया है जो शिक्षा के अधिकार को सेक मौलिक अधिकार घोषित करता है. परन्तु शिक्षा का यह मौलिक अधिकार एक मात्र प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने तक है, अत: 21-A यह कदापि घोषित नही करता है कि शिक्षा के इस मौलिक अधिकार मे उच्च व तकनीकी शिक्षा भी शामिल है। अत: याचिका कर्ता का यह तर्क किया कतई असत्य है।

5. यह कि निजी मेडिकल कॉलेजो मे फीस लेना न्यायोचित है क्योकि इसके विरूद्ध ना तो संविधान मे ना ही अन्य विधि मे कोई प्रावधान है जो भारत मे लागू है।

6. यह कि भारत के संविधान अनुच्छेद -14 मे समानता के मौलिक अधिकार को परिभाषित किया गया है। परन्तु उच्चतम न्यायालय मे बार-बार कई वादो मे यह निर्णित किया है कि समानता का यह मौलिक अधिकार अलग-अलग वर्गीकृत समूहो पर अलग अलग तरीको से लागू होता है।

शासकीय कोटे मे सभी छात्रो का अधिकार है इसी प्रकार मैनेजमैन्ट कोटे मे भी

UNITED SECULAR SOCIETY

सभी छात्रों का समान अधिकार है, जिन्होंने मैनेजमेन्ट कोर्स मे प्रवेश लिया है।

7. यह कि अनुसूचित जाति के नागरिको हेतु भारतीय संविधान के अनुच्छेद 46 मे यह कहा गया है कि राज्य अनुसूचित जाति तथा राज्य के कमजोर वर्गों के लोगो के उनके शैक्षिक व आर्थिक अधिकार हेतु सुरक्षा प्रदान करेगा। इसी अनुपालन मे निजी मेडिकल कॉलेज के शासकीय कोटे मे शासन के आदेशो का पालन करते हुए तमाम प्रावधान किये गये है।

अतः यह कहा जाता है कि छात्रो के निर्धन होने के कारण कैपिटेशन फीस लिया जाना कतई न्यायोचित नही है। क्योंकि निजी कॉलेज चिकित्सा शिक्षा प्रदान करता है जो कि अन्य उच्च शिक्षा से पूरी तरह भिन्न है। अतः इस न्यायालय से सादर प्रार्थना है कि निजी कॉलेज द्वारा मैनेजमेन्ट कोटे पर ली जा रही कैपिटेशन फीस को मान्य ठहराये जाने के आदेश पारित करने की कृपा करे तथा साथ ही उचित मूल्य के साथ याचिका खरीज करने की कृपा करे।

UNITED SECULAR SOCIETY

मूट समस्या संख्या - 03 (फौजदारी)

न्यायालय प्रथम ए० सी० जे० एम० गाजियाबाद
परिवाद संख्या 513 सन 2016
राहुल बनाम राजेश

धारा - 138 पराक्रम्य अधिनियम
थाना - कविनगर

जमानत प्रार्थनापत्र निवाजिब प्रार्थी राजेश कुमार पुत्र रमेश आयु 50 वर्ष निवासी, 5136 कवि नगर, थाना कवि नगर, जिला गाजियाबाद

(1) यह कि परिवादी ने उक्त वाद विरुद्ध ~~परिवादी ने~~ प्रार्थी उक्त धारा के अन्तर्गत योजित किया है, जो कि गलत व असत्य कथनों पर आधारित होने के कारण स्वीकार होने योग्य ~~है~~ नहीं है।

(2) यह कि प्रार्थी ने परिवादी को कभी भी कोई भी चैक जारी नहीं किया है।

(3) यह कि प्रार्थी एक न्याय प्रिय व्यक्ति है तथा सदैव से ही विधि का पालन करने वाला है।

4. यह कि प्रार्थी को उक्त परिवाद के सम्मन प्राप्त होने के उपरांत तुरन्त न्यायालय में उपस्थित है। तथा जमानत के लिए प्रार्थना करता है।

5. यह कि प्रार्थी न्यायालय को विश्वास दिलाता है कि वह न्यायिक कार्यवाही में पूर्ण सहयोग करेगा।

6. यह कि उपरोक्त कारणवश प्रार्थी को जमानत को देने का आदेश पारित किये जाना, न्यायहित में अति आवश्यक व न्याय संगत है।

अतः सादर प्रार्थना है कि उक्त कारणवश, प्रार्थी को ~~न~~ समर्पण स्वीकार कर, जमानत पर रिहा करने के आदेश पारित किये जावे।

दिनांक

प्रार्थी

अधिवक्ता प्रार्थी

सेवा में

श्रीमान थानाध्यक्ष
थाना कवि नगर
गाजियाबाद

विषय :- प्रार्थी की प्रथम सूचना दर्ज करने के सम्बन्ध में

महोदय,

निवेदन है कि प्रार्थी हरीश चन्द पुत्र राम नि० कवि नगर का स्थायी निवासी है, प्रार्थी आज दि० 05-03-17 को दोपहर 2.00 बजे, अपने निजी काम से बाहर जा रहा था, तभी उसकी घर की गली के नुक्कड़ पर दो लोग रामू व श्याम पुत्रगण हरपाल नि० कवि नगर खड़े हुए थे, ने प्रार्थी के ऊपर अचानक एक साथ लाठी से प्रहार कर घायल कर दिया, जिससे प्रार्थी के सर में गम्भीर चोटें आयी हैं तथा लगातार खून बह रहा है।

यह कि उपरोक्त कारणवश रामू व श्याम के विरुद्ध विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत प्रथम सूचना दर्ज करने की कृपा करें।

दिनांक- 05.03.17

प्रार्थी

UNITED SECULAR SOCIETY

साक्षात्कार तकनीकी (INTERVEWING TECHNIQUE) NO-1

वकील – कैसे है आप ? कैसे आना हुआ ?

व्यवहारी – श्री मान जी मै ठीक हूँ। मुझे आपकी सहायता चाहिये

वकील – आप क्या चाहते है।

व्यवहारी – श्री मान जी, मेरा नाम दीपक जैन है। मैंने राम प्रकाश पुत्र धर्म वीर को बट्टे का व्यापार करने के लिये रूपये उधार दिये थे, मै अपने पैसे वापस चाहता हूँ।

वकील – आपने कब और कितने रूपये दिये थे।

व्यवहारी – श्री मान जी, मैंने उसे 15-12-2009 को 2 लाख रूपये दिये थे।

वकील – अपने उसे रूपये कितने समय के लिये दिये थे ?

व्यवहारी – जी, उसने मुझसे रूपये एक साल के लिये उधार लिये थे, और अब एक साल बीत चुका है। और उसने अब तक रूपये वापस नहीं किये।

वकील – क्या कोई दस्तावेज लिया गया था।

व्यवहारी – जी हाँ, एक पत्र लिखा गया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर भी थे।

वकील – अपने पैमेन्ट कैसे दिया ? कैश / चैक के रूप मे

व्यवहारी – जी नकद

वकील – क्या कोई गवाह था

~~व्यह~~ व्यवहारी – जी हाँ, मेरा मित्र प्रदीप सिंघल पुत्र

UNITED SECULAR SOCIETY

वकील - क्या वह गवाही देने को तैयार है।

व्यावाहारी - जी हाँ।

वकील - क्या उसने कुछ रकम वापस की?

व्यवाहारी - जी नहीं।

वकील - क्या उसने कोई नोटिस या सूचना दी।

व्यवहारी - जी नहीं।

वकील - फिर आपने क्या किया।

व्यवाहारी - श्री मान जी, मैं स्वयं उसके पास गया
लेकिन उसने टालने की कोशिश की।

वकील - अब आप क्या चाहते हैं।

व्यवाहारी - सर मैं चाहता हूँ कि आप उसके खिलाफ
मेरे रुपये वापस करने के लिये नोटिस
दे जिससे वह मेरे पैसे वापस दे दे।

वकील - ठीक है, ऐसा ही हो। आप मेरी फीस
व कोर्ट फीस जमा करवा दे।

व्यवहारी - जी, ठीक है।

वकील - और जब अगली बार आये तो कृपा
अपोइन्टमेन्ट लेकर आये क्योंकि मैं बहुत
व्यस्त रहता हूँ।

UNITED SECULAR SOCIETY

साक्षात्कार संख्या – 02.

INTERVIEWING TECHIQUE NO – 2.

वकील – कैसे है आप ? कैसे आना हुआ ?

व्यवहारी – जी सर मै ठीक हूँ। मुझे आपकी सहायता चाहिये

वकील – आपकी क्या समस्या है।

व्यवहारी – श्री मान जी, मेरा नाम पवन कुमार है, मै एक रिटायर्ड कर्मचारी हूँ। मेरी शादी को 35 साल हो चुके है। रिटायर्ड के बाद मे मेरी पत्नी मुझे परेशान कर रही है। वह मुझे कहती है कि मैने अपने जीवन मे कुछ नही कमाया व मै एक ठाली आदमी हूँ।

वकील – आपके कितने बच्चे है।

व्यवहारी – जी मेरे दो लड़कियाँ है, दोनो अच्छी नौकरी पर है।

वकील – क्या आपकी लड़कियों की शादी हो चुकी है।

व्यवहारी – जी नही।

Session
CHECKED 2016-17

वकील – क्या आपकी लड़कियाँ आपका साथ नही देती

व्यवहारी – जी नही वे भी अपनी माँ के साथ

UNITED SECULAR SOCIETY

मिलकर मुझे ताना देती है। और स्थिति बिगड चुकी है। कि जब मैं उनका विरोध करता हूँ। तो मेरी पत्नी व लड़कियाँ मुझ पर हाथ उठा देती हैं।

वकील – क्या आपकी पत्नी नौकरी करती है।

व्यवहारी – जी, हाँ, वह एक सरकारी स्कूल मे है।

वकील – क्या आपके माता-पिता, भाई-बहन ने उन्हे समझाने की कोशिश नहीं की।

व्यवहारी – जी हाँ, परन्तु उन पर कोई असर नही होता है।

वकील – इसके अलावा क्या परेशानी है।

व्यवहारी – जी वह मेरे साथ नौकरों जैसा व्यवहार करती है वह घर का सारा काम, झाड़ू, पोछा भी मुझ से करवाती है।

वकील – अब आपकी पत्नी कहाँ रहती है।

व्यवहारी – जी वह अपना सारा जेवर लेकर अपने पिता के घर चली गई।

वकील – क्या आपने FIR लिखवा दी है।

व्यवहारी – जी, हाँ लिखवा दी है।

UNITED SECULAR SOCIETY

वकील - क्या आपकी पत्नी के माता-पिता या भाई-बहन को आपने इस बारे मे बताया हैं।

व्यवाहारी - जी हाँ, परन्तु वे मेरी पत्नी को ही सही मानते हैं।

वकील - अब आप क्या चाहते हैं।

व्यवाहारी - श्री मान जी, मैं चाहता हूँ कि मेरी पत्नी से मेरा सम्बन्ध बना रहे क्योकि वह भी मुझे तलाक नही देना चाहती। अतः मैं दाम्पतय अधिकारो की पुनः स्थापना चाहता हूँ।

वकील - ठीक हैं, ऐसा ही होगा। आप मेरी फीस और कोर्ट फीस जमा करा दे।

व्यवाहारी - जी ठीक है।

वकील - और अगली बार जब आये तो समय लेकर आये, क्योकि मैं बहुत व्यस्त रहता हूँ तथा सभी जरूरी दस्तावेज लेकर आये।

व्यवाहारी - जी ठीक हैं। धन्यवाद।

UNITED SECULAR SOCIETY

समस्या (Problem) NO - 1 :-

दुकानो पर प्रिन्ट रेट से ज्यादा शराब बिक रही है। लेकिन सब कुछ जानते हुए भी कोई कार्यवाही नही होती। उपभोक्ता अपनी आवाज कहाँ और कैसे उठाये ? समस्या हमारे ISL कॉलिज की लीगल एड क्लीनिक मे आयी।

हल :-

आप इस सम्बन्ध मे, अपनी शिकायत जिला अधिकारी सन्ट्रेल - विभाग, मानव अधिकार आयोग मे कर सकते है अगर आपके पास बिल है तो अपनी शिकायत जिला उपभोक्ता फोरम मे कर सकते है।

समस्या नं० - 2 :-

1 फरवरी 1996 मे पंचम वेतन आयोग की शिफारिश उ० प्र० माध्यमिक शिक्षको पर भी लागू हुआ, लेकिन जो अध्यापक 1996 मे उ० प्र० जून 2008 तक सेवा निवृत हो गये, उन पर आज तक भी लागू नही किया गया। इससे पेंशन पर प्रभाव पड़ रहा है। अब हम सेवा-निवृत अध्यापको को काम करना चाहिये? उपभोक्ता हमारे ISL कॉलिज की Legal Aid Clinic मे आया।

समाधान :-

वेतन आयोग की शिफारिश किन पर लागू हो, यह तय करना सरकार का अधिकार है, यदि सरकार उन्हे लागू नही कर रही है तो

UNITED SECULAR SOCIETY

उनके विरुद्ध सिर्फ उच्च न्यायालय ही उचित समझे तो आपको कोई प्रतिकार दे सकता है।

समस्या :-

विष्णु दत्त शर्मा बनाम दानू दत्त शर्मा
AIR 2009, S.C. 2254
सिविल अपील संख्या -1330/2011

न्यायधीश - माननीय मार्कण्डेय काटजू
माननीय पी० एस० सिरपूरकर

V का M के साथ दिनांक - 26-2-1993 को हिन्दू रीति - रिवाज के साथ विवाह सम्पन्न हुआ। V ने M के विरुद्ध परिवार न्यायालय मे विवाह विच्छेद का वाद योजित किया और आरोप लगाया कि M का व्यवहार V तथा उसके परिवार जनो के प्रति क्रूरता पूर्ण एवं अपमान जनक रहा है।

पत्नी का कहना है कि V द्वारा लगाये गये सभी आरोप निराधार एवं असत्य है। वास्तविकता यह है कि V तथा उसके परिवार जनो ने M के साथ क्रूरता पूर्ण व्यवहार किया तथा मार पीट व जलाने का प्रयास किया गया जिस कारण M को राम मनोहर लोहिया अस्पताल मे भर्ती होना पड़ा, भर्ती होने का प्रमाण लिखित कथन के साथ संलग्न है।

विचरण :- विचारण न्यायलय मे भी विचारण न्यायालय के निर्णय से सन्तुष्ट होते हुए अपील खारिज कर दी।

UNITED SECULAR SOCIETY

सभी आरोप निराधार और असत्य पाये गये तथा साक्ष्यो के आधार पर विवाह -विच्छेद का वाद खारीज कर दिया।

उच्चतम न्यायालय :-

उच्चतम न्यायालय ने भी V की अपील को खारिज कर दिया कि अप्रतिस्थापन का आधार धाराओ मे कही नही है।

1 उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि अप्रतिस्थापन होने के कारण विवाह विच्छेद की डिक्री पारित की जाये।

2. कुछ मामलो मे उच्चतम न्यायालय ने ही विवाह के अप्रतिस्थापन हो जाने के आधार पर विवाह विच्छेद किया है। नवीन कोहली बनाम नील कोहली S.C. मे अप्रतिस्थापना होने पर विवाह - विच्छेद की डिक्री पारित कर चुके है।

3. हमारी राय उन मामलो मे न्यायाधीश महोदय ने कानूनी व्यवस्था का ध्यान नही रखा है अतः वह पूर्ण श्रेणी मे नही आते है।

4. न्यायालय का मात्र निर्देश कानून व्यवस्था के बिना ध्यान मे रखे हुये पूर्ण निर्णय नही बन सकता, यदि विवाह के अप्रतिस्थापना होने के विवाह विच्छेद की डिक्री पारित करते है तो हम यह हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा -125 मे एक संशोधन मे बराबर होगा।

5. हमारी राय मे ऐसा कृत्य केवल विधायिका का है। यह कार्य केवल संसद का है कि वह हिन्दू -विवाह अधिनियम

UNITED SECULAR SOCIETY

स्मृति पहाड़िया बनाम समय पहाड़िया AIR 2009 SC. 2840.

S का विवाह N के साथ सन् 1993 में हुआ लेकिन मतभेद के कारण जनवरी 2005 से दोनों अलग रहे रहे हैं। मई 2007 में S तथा N दोनों ने आपसी सहमति से विवाह-विच्छेद हेतु प्रार्थना पत्र परिवार न्यायालय में दिया।

परिवार न्यायालय :-

विवाह विच्छेद के प्रार्थना पत्र दिये जाने के 6 महीने बीत जाने पर अदालत में हाजिर नहीं हुये तो परिवार न्यायालय ने S के हक में एक पक्षीय डिक्री पारित कर दी।

उच्च न्यायालय :-

उच्च न्यायालय ने तलाक की डिक्री को रद्द कर दिया।

उच्चतम न्यायालय :-

उच्चतम न्यायालय ने S द्वारा दी गई अपील को रद्द कर दिया।

अब S ने उच्चतम न्यायालय में नई रिट दाखिल करके "सहमति आशय करने वाले" हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा-13 B(i) व धारा-13 B(ii) के प्रावधानों को चुनौती दी है।

1) क्या परिवार न्यायालय में जो डिक्री पारित हुई दिनांक-8.12.2010 को पारित करने के लिये दूषित प्रक्रिया का प्रयोग किया गया है।

UNITED SECULAR SOCIETY

2. क्या परिवार न्यायालय ने विवाह विच्छेद की डिक्री पारित करने में परिवार न्यायालय अधिनियम - 1984 के उद्देश्यों को विपरीत किया है।

3. क्या परिवार न्यायालय के समक्ष पति की अनुपस्थिती दिनांक - 19-11-2010 व 4-12-2010 में यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि पति की सहमति से डाली गई विवाह विच्छेद हेतु याचिका ने पति की सहमति है यद्यपि पति ने आपसी सहमति के आधार पर विवाह विच्छेद की याचिका को व्याप्त नहीं लिया है।

4. क्या हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा -13 B (2) के अन्तर्गत योजित विवाह विच्छेद की डिक्री किसी एक पक्षकार की अनुपस्थिति में पारित कर सकता है या विवाह का विच्छेद कर सकता है।

जबकि धारा -13 B(2) में स्पष्ट लिखा है कि दोनों पक्षों के आवहन पर "The motion of the Parties."

UNITED SECULAR SOCIETY

PRE-TRIAL PREPARATION

PRE-TRIAL – विचारण से पूर्व :-

प्री ट्रायल का शाब्दिक अर्थ विचारण पूर्व है, जो किसी भी न्यायालय द्वारा लिया गया अपराधों का पूर्ण ब्यौरा है जो न्यायालय एक अन्वेषण अधिकारी द्वारा दिया गया। संयुक्त रिपोर्ट है - जो विचारण से पूर्व न्यायालय में दिया जाता है। प्री ट्रायल वह प्रक्रिया है जो किसी भी न्यायालय में विचार दौरान, लम्बित मामलो में विचारण से पूर्व किया जाता है। सर्वप्रथम किसी भी वाद को निष्पादन के लिये वाद के क्षेत्राधिकार में किया जाता है। जिसमें न्यायालय का नाम तथा वादी, प्रतिवादी दोनो का नाम, पता एवम् पूर्ण विवरण दिया जाता है। गवाहो की सूची तथा उनका विवरण तैयार किया जाता है। वस्तुत: इस तरह के उक्त प्राधिकारियो द्वारा किये जाने वाली कार्यवृति का मुख्य उद्देश्य साक्ष्य जुटाना होता है। अन्वेषण की कार्यवाही मे मुख्यत: निम्नलिखित कार्यवाही शामिल होती है।

1. अपराध स्थल का निरक्षण।
2. मामले एवं घटना से सम्बन्धित सभी तथ्य एवं परीस्थितियों का निश्चयन।
3. नाम निर्देशित या संदेहित व्यक्ति की गिरफतारी तथा उससे पूछताछ।
4. अपराध कारित होने सम्बन्धित सभी महत्वपूर्ण साक्ष्यो का संग्रहण।

UNITED SECULAR SOCIETY

5. इस तथ्य पर राय कि संग्रहित सामग्री के आधार पर किसी आरोप का व्यक्ति संगत आधार बनता है या नहीं तथा उक्त राय के आधार पर अपनी रिपोर्ट का वंडाधिकारी के समक्ष प्रतिप्रेषण.

सिविल वाद मे विचारण के पूर्व की तैयारी :-

सिविल वाद संख्या : 220/2011

तथ्यो की जानकारी :-

राजेन्द्र शर्मा ने सारे तथ्यो की जानकारी दी कोई भी तथ्य नहीं छिपाया गया और कोई भी बात बढा चढा कर नहीं की, अधिवक्ता श्री कुमार ने घटना का संक्षिप्त नोट तैयार किया ताकि कोई तथ्य प्रमाणित या अप्रमाणित करने से रह ना जाये।

पदावली का गठन :-

उक्त मामले मे पदावली बना ली। पदावली के मुख्य पृष्ठ पर निम्नलिखित ब्यौरा लिखा गया।

1. न्यायालय का नाम।
2. वाद संख्या (जो वाद मे पड़ेगी)
3. पक्षकारो के नाम, पते, संख्या एवं सन
4. मामले की प्राकृति,
5. दोनो पक्षो के अधिवक्ताओ के नाम, तारीख, पेशी का विवरण।

UNITED SECULAR SOCIETY

पदावली मे वाद-पत्र तैयार करने से लेकर अंत तक की सारी कार्यवाही अंकित की जाएगी। जिसमें यह ध्यान रहे कि मामला किस स्टेज पर चल रहा है। सारे पत्र, प्रमाण दस्तावेज आदि की प्रति: लिपियाँ - पदावली मे रखनी होगी जिससे कि विचारण के समय आसानी रहे और बारूकर न्यायालय की पदावली पर निर्भर ~~की~~ ना रहना पड़े। अधिवक्ता ने बताया कि पदावली पर निर्भर की जगह ठीक प्रकार से रखना चाहिये। उन्होंने यह भी बताया कि मामले के संक्षिप्त नोट और मामले से सम्बन्धित रूलिंग का उल्लेख भी पदावली के साथ संलग्न करना है। कुछ मिलाकर पदावली अपडेट रखनी है क्योंकि यह अधिवक्ता की बाईबल है।

विधि का अध्ययन :-

आधिवक्ता महोदय ने इस मामले से सम्बन्धित High Court की और सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग देखी और मुझे इसका महत्व बताया कि ऐसा इसलिए जरूरी है कि जरा-सी लापरवाही से मामला हाथ से ना निकल जाये। वकील साहब ने यह भी बताया कि न्यायालय मे जाने से पहले हमे यह अच्छी तरह देख लेना चाहिये कि जिस विधि के अन्तर्गत यह मामला न्यायालय मे ले जाया जा रहा है, वह उपयुक्त है भी या नहीं।

UNITED SECULAR SOCIETY

विचारण की कार्यवाही में भाग लेना -

सिविल वाद के विचारण की प्रक्रिया :-

न्यायालय सिविल जज, कड़कड़ डूमा कोर्ट, दिल्ली

वाद संख्या 468/2011

सुनील कुमार बनाम राज पाल सिंह

-: प्रक्रिया :-

* दिनाँक 8-1-2014, दावा दायर सारे कागज मूल और उनकी छाया प्रतियाँ जो प्रतिवादी को जानी है तथा प्रतिवादी के समन साहित दाखिला किया तलबाना दाखिल किये जाने के लिये प्रतिवाद पत्र, दिनाँक: 16-1-2014 नियत की गई।

* दिनाँक 16-1-14 प्रतिवादी पर तामील हो गई। उसने प्रतिवाद पत्र तैयार कर अदालत मे दाखिला किया। वाद - बिन्दु नियत करने के लिये दिनाँक 30-1-2014 नियत की गई।

* दिनाँक 5-8-2014, वाद पुकारा गया, सर्वप्रथम वादी की ओर से वाद पुकारा गया और अपनी लिस्ट गवाह पेश की गई। और उसी क्रम मे अपना सम्पूर्ण साक्ष्य पेश किया गया।

प्रत्येक गवाह का वादी आधिवक्ता ने मुख्य परीक्षण कराया और प्रतिवादी आधीवक्ता ने उन गवाहो से जिरह की और अपना साक्ष्य पेश करने के लिये अगली तारीख चाही जिसके लिये एडवोकेट ने मुल्तवी करने का प्रार्थना पत्र दिया और तभी न्यायालय ने प्रतिवादी पर 100/- हर्जाना करते

UNITED SECULAR SOCIETY

★ दिनांक : 11-2-2014 , वाद पुकारा गया । वादी अधिवक्ता ने प्रतिवादी से 100/- हर्जाना वसूल किया और पदावली पर प्राप्ति लिख दी , प्रतिवादी के अधिवक्ता ने लिस्ट गवाहो को दाखिल किया और गवाहो का मुख्य परीक्षण कराया तथा वादी अधिवक्ता ने उनसे जिरह की अधिवक्ता ने मुझे बताया कि जो गवाह वादी की तरफ से दिये जाते है उन्हे P.W कहते है । और जो गवाह प्रतिवादी की तरफ से दिये जाते है , उन्हे D.W कहते है। वादी के साबित किये गये कागजात पर प्रकाश डाला - 1, 2, 3 पर प्रकाश डाला गया । तथा प्रतिवादी के कागजात पर प्रकाश डाला -1,2,5 पर क्रमश, प्रकाश डाला गया । 1 तथा प्रतिवादी के कागजात पर क्रमश 1 A , 2A , 3 A डाला जाता है । जिरह जिरह की तारीख : 18-2-2014 नियत की गई

★ दिनांक : 18-2-2014 दोनो पक्षो को अधिवक्ताओ ने उपस्थित होकर अपना - अपना पक्ष प्रस्तुत किया । पहले वादी अधिवक्ता ने अपना केस बताया और केस सम्बन्धित साक्ष्य पदावली पर वो , उनकी और अदालत पर ध्यान आकर्षित किया बीच मे गवाहन मे बयान पर भी पढ़कर सुनाये गये और अपने पक्ष पर कानून की पुस्तके भी दिखाई गई । इसके बाद प्रतिवादी अधिवक्ता के तर्को को काटते हुये, अपने साक्ष्य पर आधारित तर्क दिये और अपने पक्ष के सम्बन्ध मे जो विधि तथा उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयो की कुछ नजीर पेश की और यह साबित करने का प्रयत्न किया कि वादी जिसके

UNITED SECULAR SOCIETY

ऊपर सिद्ध करने का भार था। वह उसे डिस्चार्ज करने मे असमर्थ रहा और वाद व्यय सहित खारीज होने योग्य है। इसके बाद वादी के अधिवक्ता के तर्कों का जवाब दिया और एक-एक करके यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया कि दावा डिक्री होने योग्य! और प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा दी गयी नजीर इस केस मे लागू नही है। और अपना केस समाप्त करते हुये अदालत को धन्यवाद दिया। अगली तारीख अदालत के निर्णय के लिये 20-2-14 नियत की गयी।

☆ दिनांक : 20-2-2014, साक्ष्य 4 बजे करीब अदालत मे तैयार किया हुआ निर्णय पक्षो को सुनाने के लिये पेश किया और वाद को डिक्री करते हुये प्रतिवादी को आदेशित किया कि वह एक माह के अन्दर झगडे वाली अपील का बैनामा कर दिया जायेगा।

MAHESH CHANDRA SHARMA
Assistant Professor
Janhit College of Law
Greater Noida

UNITED SECULAR SOCIETY

विचारण की कार्यवाही में भाग लेना

मजिस्ट्रेट के समक्ष परिवाद मामले मे विचारण :-

न्यायालय पंचम अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद

परिवाद संख्या .... सन - 2011

अन्तर्गत धारा - 323/325/147/452 IPC

थाना -----

प्रक्रिया :-

दिनाँक : 16-01-2019 परिवाद पंचम अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय मे दाखिल हुआ, न्यायालय ने वाद को रजिस्टर मे अंकित किया और परिवादी को बयान के लिए बुलाया

परिवादी के धारा - 200 CrPC के अन्तर्गत बयान लिखे और वाद की संख्या रखने के लिये सवालात किये और पदावली पर बयानो को लिपि बद्ध किया और धारा 202 CrPC के बयानो के लिये दिनांक - 29-01-2019 नियत की।

* दिनांक - 29-01-2019 अधिवक्ता महोदय ने न्यायालय के सामने बयान का विवरण रखा और विचारों एवं रिपोर्ट का हवाला देते हुए सिद्ध किया कि अभियुक्त गण के विरुद्ध प्रथम दृष्टया केस बनता है और उन्हे तलब करने का पर्याप्त आधार है। मजिस्ट्रेट महोदय ने सारी बहस सुनने के बाद अंतिम आदेश के लिए दिनांक : 07-02-2019 नियत की।

UNITED SECULAR SOCIETY

★ दिनांक 07-02-2019 → न्यायालय ने आदेश पारित किया कि सभी मुल्जिमो को परीक्षण के लिए समन करने का प्रर्याप्त आधार है और दिनांक 12-02-2019 के सभी मुल्जिमो को न्यायालय मे पेश होने की हिदायत दी।

★ दिनांक 12-02-2019 → पुकारे जाने पर मुजरिम कोर्ट मे हाजिर हुये और उन्होने अपने जमानत पत्र दिये जिन पर अदालत ने 25000/= के 2 व्यक्तिगत और इतनी ही धन राशी के दो प्रतिभूति देने का आदेश दिया। अभियुक्त को तुरन्त जमानत के लिये 22-02-2019 नियत की।

★ दिनांक 22-02-2019 → वाद पुकारा गया और वादी के अधिवक्ता ने धारा 244 द० प्र० संहिता के अन्तर्गत अपना साक्ष्य प्रस्तुत किया और प्रतिवादी का एक मुख्य परीक्षण कराया और प्रतिवादी ने अपनी रिपोर्ट साबित की जिस पर प्रदर्शन डाला गया। इसके बाद मुल्जिम से अधिवक्ता ने सवाल किये और मुख्य परीक्षण कराया गया और अदालत मे बयान मुल्जिम व चार्ज के लिये दिनांक 28-02-2019 नियत की।

★ दिनांक 28-02-2019 — वाद पुकारने के बाद दोनो अधिवक्ता ने धारा 323/325/147/452 भा० द० संहिता के अन्तर्गत चार्ज लगाया। अभियुक्त गण के अधिवक्ता ने चार्ज बनाने के लिये कहा कि अभियुक्त गण को उन्मोचित किया जाये। न्यायधीश महोदय ने साक्ष्य को सही मानते हुये और अभियुक्त गण के विरुद्ध चार्ज नहीं बनता, और अभियुक्त गण को उन्मोचित गण किया जाये। न्यायधीश महोदय ने साक्ष्य को सही

UNITED SECULAR SOCIETY

मानते हुये और अभियुक्त गण के खिलाफ यह साक्ष्य मान कर उपरोक्त धाराओं के अन्तर्गत चार्ज लगाया उसमे चार्ज की तारीख, समय व घटना का उल्लेख करते हुये कु धाराओ का हवाला देते हुये चार्ज लगाया तथा अभियुक्त गण को सुनाया और पूछा क्या वह चार्ज को स्वीकार करते है और अपने जुर्म का इकबाल करते है। उनके मना करने पर उनसे पर हस्ताक्षर करवा कर अग्रीम तारीख जिरह के लिये 07-03-2019 नियत की।

★ दिनांक 07-03-2019 -> वाद पुकारने पर परिवादी व गवाह जिरह के लिए पेश किये गये। आधिवक्ता गण ने इन दोनो गवाहो से फिर बहस की और न्यायालय ने शेष साक्ष्य के लिये दिनांक 15-03-2019 नियत की।

★ दिनांक: 15-03-2019 -> इस दिन शेष गवाहो का बयान हुआ जिसमे अभियुक्त गण के आधिवक्ता ने जिरह की। धारा-50 के द्वारा साबित की गई डाक्टरी रिपोर्ट प्रस्तुत की प्रदर्श संख्या A/2 से A/6 तक और दिनांक: 22-03-2019 नियत की गई।

★ दिनांक: 22-03-2019 -> आज कोर्ट मे हर व्यक्ति अलग-अलग साक्ष्य के लिये आये, उनके विरुद्ध घटना क्रम का विवरण देते हुये सवाल किये और सम्पूर्ण साक्ष्य के बारे मे अभियुक्तगण से प्रश्न किये और साक्ष्य के बारे मे कहने का अवसर दिया। अभियुक्त गण मे सारे प्रश्नो के उत्तर देते हुये अपनी सफाई पेश करने का प्रयत्न किया। दिनांक: 27-03-2019 अगली तारीख नियत की।

UNITED SECULAR SOCIETY

* दिनांक : 08-04-2019 -> इस दिन परिवादी ने उसकी घटना की रिपोर्ट लिखवाये जाने से पूर्व थाने पर लिखवाई गई रिपोर्ट थी। जो गवाहो द्वारा लिखवाई गई थी। और उस गवाह को पेश किया गया उसका मुख्य परीक्षण करते हुये इसके द्वारा रिपोर्ट साबित करायी जिस पर प्रदर्श संख्या ।5।। पर प्रकाश डाला गया और न्यायालय मे बहस की तारिख -12-04-2019 नियत की।

* दिनांक : 12-04-2019 => इस दिन बताया गया कि अभियुक्तगण के विरूद्ध परिवादी अपना परिवाद साबित करने मे असफल रहा है उसमे अदालत का ध्यान सबूत की कमजोरियों पर इंगित किया और बताया कि किस प्रकार गवाह विश्वसनीय नही है। अधिवक्ता ने अपनी बहस मे विभिन्न न्यायालयो की नजीरे पेश की जिनमे उक्त प्रकार के मामलो मे अभियुक्त गणो को दोषमुक्त किया गया था। साथ ही अपनी बहस का संक्षिप्त विवरण धारा -314 के अन्तर्गत परिवादी के अधिवक्ता को कापी देते हुए अदालत मे पेश किया जिसे अदालत मे पत्रावली पर रख लिया। इसके बाद 16-04-2019 नियत की गई।

* दिनांक : 16-04-2019 न्यायालय ने सबको परिवादी की कहानी को सत्य मानते हुए धारा 323/452/ Pc का दोष पाया गया और उन्हे न्यायिक अभिरक्षा मे लेकर बहस सुनकर निर्णय कर अन्तिम फैसला लिखवाया और निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया और आदेश दिया कि सभी मुल्जिम धारा 452 के अन्तर्गत 6 माह का कारावास और धारा 147 के अन्तर्गत 3 माह का

UNITED SECULAR SOCIETY

समस्या आपराधिक - 2 :-

दण्डिक विचारण मे प्रक्रिया :- 2 :-

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, तीस हजारी कोर्ट दिल्ली

उपस्थित : श्री अमित कुमार एडवोकेट ...... अभियुक्त के लिये
श्री R.K. गुप्ता सरकारी अधिवक्ता (पी०पी०एस)

सरकार बनाम सतपाल पुत्र कैलाश जी
निवास : R-124, जहाँगीर पुरी
दिल्ली।

UNITED SECULAR SOCIETY

अपराध संख्या : 285/05
धारा -279/304-A IPC
थाना - जहाँगीर पुरी दिल्ली।

वाद के तथ्य : थाना पुलिस जहाँगीर पुरी द्वारा अभियुक्त सतपाल के विरूद्ध धारा -279/304-A I.P.C. के अन्तर्गत आरोप पत्र न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया।

संक्षेप मे अभियोजन का कथन इस प्रकार है कि दिनांक : 22-04-2019 को समय लगभग 10 बजे वादी शराफत अली पुत्र मकसद अली, निवासी - जहाँगीर पुरी का लड़का साजिद उम्र -20 वर्ष सिनेमा देख कर अपने घर आ रहा था। रास्ते मे मेटाडोर संख्या : DDL-6054 को ड्राईवर सतपाल चला रहा था। वादी का लड़का बचकर दीवार के सहारे खड़ा हो गया। ड्राईवर ने उसी दीवार से गाड़ी को टकरा

दिया जिससे वादी का लड़का गाड़ी व दीवार के बीच आकर मर गया अर्थात लड़के की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। भागते हुए ड्राईवर कौशल को नौशाद आदि ने स्थल पर ही पकड़ लिया। ड्राईवर को पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिया तथा उसे भी कई चोटे आई थी। वादी ने घटना की FIR पुलिस थाने मे कराई तथा जिस अभियोग को पंजीकृत किया गया। विवेचना SI राय के हवाले की गई। विवेचना के उपरांत आरोप पत्र, न्यायालय पेश किया गया। जिसमे अभियुक्त ने घटना को विचारण की मॉग की गई। अभियोजन पक्ष ने अपने केस करने के लिये PW-1 मशकूर, PW-2 शराफत अली, PW-3 हिदायत, PW-4 नौशाद, PW-5 अफीरा अहमद, PW-6 SI दिनेश कुमार अंकित कराये गये।

प्रक्रिया :-

☆ दिनांक : 22-04-2019 → PW-1 मशकूर ने अपने शपथ पूर्वक बयानो मे यह बात कही थी कि दिनांक : 29-07-2010 को मृतक शाजिद का पंचनामा मेरे सामने भरा गया था। उसकी मृत्यु दुर्घटना मे आई चोटो के कारण हुई थी। जिस मे इस गवाह ने यह बात कही कि मेरे सामने दुर्घटना नही घटी।

☆ दिनांक : 24-04-2019 ⇒ PW-2 शराफत अली ने अपने शपथ पूर्वक बयान मे यह बात कही कि करीब 9:45 रात्री 9:45 को मेरा लड़का शाजिद सिनेमा देखकर वापस जा रहा था।

UNITED SECULAR SOCIETY

मैं उस समय अपने घर पर था। अस्मान व नौशाद ने मुझे आकर बताया कि मेरा लड़का गाड़ी की टक्कर लगने से मर गया है। मुल्जिम ड्राईवर घटना स्थल पर ही है। तथा वह गाड़ी छोड़ कर भाग रहा था। लोगो ने उसको पकड़ लिया उसने अपना नाम सतपाल बताया है। मुल्जिम हाजिर अदालत मे है। मैं उसे पहचानता हूँ इस घटना की रिपोर्ट मैंने थाना से लिखवाकर और सुनने के बाद अपना अंगूठा लगाया। मैंने जो बोला थाना ने बारी लिखाया असल रिपोर्ट मेरे सामने है। जब मैं पहुँचा तो घटना स्थल पर मेरे लड़के के शव के करीब 3.5 मीटर की दूरी पर ट्रक खड़ा था। मेरा लड़का उसके एक तरफ पड़ा था मैटाडोर गाड़ी ट्रक के सामने से आयी थी, और बगल से गुजरी थी। मैंने मैटाडोर मे कोई लाश नही देखी थी, यदि सामने से गाड़ी टक्कर मारे तो, सामने चोट आयेगी, उसे दीवार के टकराने से चोट आयी और वह मर गया।

★ दिनांक : **26-04-2019** —> अस्मान ने अपने शपथ पत्र मे यह बात कही है कि वह रात मे निकला था। दुर्घटना मैटाडोर से हुई थी उसका नं० DDL – 6054 जो मैंने देखा था। गाड़ी का पिछला पहिया लड़के के उपर चढा दिया। ड्राईवर को पकड़ कर थाने वाले ले गया और रिपोर्ट लिखवाई। मैं अभियुक्त को पहचानता हूँ। जिरह के दौरान इस गवाह ने यह बात कही कि घटना होते समय किसी की लाश नही थी। ड्राईवर ने जानबूझकर पहिया लड़के के उपर नही चढाया परन्तु उसने देखा कि लड़का रगड़ खा कर गिर गया तो उन्होने मैटाडोर के पीछे भागना

UNITED SECULAR SOCIETY

चाहा। जिससे पहिया उसके ऊपर चढ़ गया।

★ दिनांक : 02-05-2019 : PW-9 →

नौशाद ने अपने शपथपूर्वक बयान मे यह बात कही कि शराफत का लड़का शाजिद जिसकी उम्र -26 थी, मैटाडोर के ड्राईवर ने कुचल दिया था। जब वह गाड़ी लेकर भागा तो मैने उसमान व फैजूल ने उसको पकड़ लिया। ड्राईवर का नाम सतपाल था, जो आज हाजिर अदालत है। जिरह के दौरान उस गवाह ने यह बात कही कि उसने Accident होते नही देखा परन्तु ड्राईवर को मौके पर पकड़ा था।

★ दिनाँक : 07-05-2019 →

PW-5 नफीस अहमद ने बताया कि शराफत अली के लड़के जिसकी उम्र -20 वर्ष थी उसकी मेटाडोर के टकराने से मृत्यु हो गई। उसका पंचनामा दरोगा ने बताया कि मैंने दुर्घटना होते देखी है। मैंने दरोगा जी को भी बताया था। उस समय मैं परचून की दुकान पर बीड़ी लेने गया था। मेरे सामने गाड़ी का अगला पहिया लड़के को लगा था। और गाड़ी लड़के को कुचलते हुए आगे ले गयी।

★ दिनांक : 10-05-2019 →

PW-6 दिनेश कुमार ने अपने शपथ-पूर्वक बयान मे यह बात कही कि दिनाँक : 29-07-2010 को वह पी.एल.शर्मा अस्पताल मे प्लास्टिक सर्जन था और उस पद पर नियुक्त था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मे प्रदर्श को साबित किया है और कहा है कि दिनांक: 29-09-2011 को समय 3:15

बजे पोस्टमार्टम किया था। मृतक की लाश विजयनगर थाने से कान्सटेबल बलवनराम व सरफराज लाये थे बाह्य परिक्षण पर। ~~बाँये कान~~ शव के अकड़ने की स्थिति मे सम्पूर्ण शरीर पर मौजूद थी। बाँये कान से खून बह रहा था। बायी तरफ सिर पर। से०मी० कान के ऊपर 13x5 से०मी० गोलाई मे घाव कटा हुआ मौजूद था, जो हड्डी तक गहरा था।

1, खोपड़ी की हड्डियो मे बायी तरफ टेम्पोरल बोन एंव पेराटाईल बोन टूटी हुई थी। खोपड़ी तक का मिटिरल कटा व टूटा हुआ था।

2. दिमाग की झिल्ली कटी हुई थी।

3. ईपुरल झिल्ली के नीचे व सैरी करेल भाग मे खून जमा हुआ था।

मृतक की मृत्यु खोपड़ी पर चोट लगने से शौक व अत्यन्त खून बहने से हुई थी। मृतक को चोट लगभग एक दिन पहले आना संभव है। जिरह के दौरान इस गवाह ने यह बात कही है कि जुलाई माह मे गर्मी व नमी काफी होती है। अकड़न आने मे इसे 3 घन्टे लग जाते है। मृतक की चोट जो कनपटी पर थी वह दिवार से सर टकराने व अन्य किसी भारी वस्तु के टकराने से आना संभव। यदि सिर के ऊपर से चलती हुई गाड़ी का पहिया उतरे तो इस तरह की चोट नहीं आ सकती। पहिये से कुचल कर मरने की कोई चोट मृतक के शरीर पर नहीं थी।

UNITED SECULAR SOCIETY

दिनांक : 23-05-2018 PW-1 विद्वान सहायक अभियोजक द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया कि इस मामले मे अभियोजन पक्ष की ओर से गवाह है। उसने पंचनामा प्रदर्श संख्या -1 को साबित किया है। PW-2 शराफत अली ने इस आशय की गवाही दी है कि दुर्घटना के बाद मुल्जिम को मौके पर पकडा गया और उसने अपना नाम सतपाल बताया है। PW-3 - उस्मान घटना का प्रत्यक्ष दर्शी गवाह है। उसने अपने बयान मे कहा है कि उसके सामने दुर्घटना हुई है। और मुल्जिम ने मेटाडोर से शाहिद को टक्कर मार दी जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। PW-4 - नौशाद ने भी कहा है और साक्ष्य दिया कि अभियुक्त ने मेटाडोर से लडके को कुचला है तथा अभियुक्त को गाडी सहित मौके पर पकड लिया। PW-5 नफीस अहमद ने भी पंचनामे की गवाही दी है। उसने पंचनामा प्रदर्श संख्या -1 को साबित किया है और अपने बयानो मे यह बात भी कही है। कि उसने दुर्घटना होते हुए देखी। PW-6 - डा० दिनेश कुमार ने मृतक का पोस्टमार्टम किया और कहा कि मृतक शाहिद की मौत कनपटी पर चोट से हो सकती है तथा इस गवाह ने मृतक शाहिद की मौत कनपटी पर चोट से हो सकती है तथा इस गवाह ने मृतक शाहिद की मृत्यु खोपडी आयी व शॉक तथा ज्यादा खून बहने से होना बताया है।

इस प्रकार से पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्ध धारा - 279/304-A भा०द० संहिता के अपराध सिद्ध है। अभियुक्त को दोष सिद्ध किया जाता है।

UNITED SECULAR SOCIETY

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया कि अभियुक्त ने कोई दुर्घटना कारित नहीं की और अभियुक्त ने ना ही तेज व लापरवाही से मेटाडोर चला कर शराफत के लड़के शाजिद को टक्कर मारी। अभियुक्त को झूठा फसाया गया है। बल्कि मेटाडोर का बंपर ट्रक से टकराया तथा जब ड्राईवर उसे छुड़ाने लगा तो ट्रक से लड़के को चोट आयी और दीवार से टकराने के कारण लड़का मर गया। कोई लापरवाही अभियुक्त की नहीं है। इसलिये अभियुक्त के विरुद्ध धारा -304 A व 279 IPC का अपराध सिद्ध नहीं होता।

दिनांक - 15-05-2019 =>

मैंने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का सम्यक अवलोकन किया पत्रावली उपलब्ध साक्ष्य से यह बात सिद्ध की है कि दिनांक : 27-7-11 को समय 10 बजे रात मे शराफत के पुत्र शाजिद की मृत्यु मेटाडोर के टकराने से मौके पर ही मौत हो गई।

जहां तक तेजी व लापरवाही से गाडी चलाने का सवाल है कि गवाह - PW-3 उस्मान ने स्पष्ट रूप से अपने बयान मे यह बात कही कि घटना के समय वह अपने घर से बीड़ी लेने जा रहा थी लड़का तथा मेटाडोर पूर्व से पश्चिम की तरफ आ रही थी लड़का उल्टे हाथ दीवार के सहारे खड़ा था। मेटाडोर के ड्राईवर ने गाड़ी के आगे गिर गया। मेटाडोर के ड्राईवर ने गाड़ी पीछे करनी चाही, तो पिछला पहिया लड़के के सिर पर चढ़ कर निकल गया और ड्राईवर भाग गया। इस गवाह ने जिरह के

दौरान स्पष्ट रूप से यह बात कही थी। कि ड्राईवर ने जानबूझ कर लड़के के सिर पर गाड़ी चढ़ाई। इस प्रकार गवाहो के बयानो से यह निष्कर्ष निकलता है कि ड्राईवर की लापरवाही की वजह से लड़के की मेटाडोर से लगी टक्कर की बजाय से गिरने पर गाड़ी पीछे करते वक्त उसके सिर पर से गाड़ी उतर कर भागने से मृत्यु हुई। यह बात उल्लेखनीय है कि ड्राईवर की गाड़ी सहित नौशाद, उस्मान व फैजल ने मौके पर पकड़ लिया गया। उपलब्ध साक्ष्य से यह बात भली-भाँति सिद्ध है कि दिनांक: 20-1-2011 को समय 10 बजे रात वादी मुकदमा शराफत का लड़का सिनेमा देखकर जब अपने घर जा रहा था तो अभियुक्त ने मेटाडोर से दीवार के सहारे खड़े बच्चे को टक्कर मारी और वह गाड़ी के नीचे दब कर मर गया।

अभियुक्त ने लापरवाही से गाड़ी चलाई जिसके फलस्वरूप दुर्घटना हुई और शाहिद की मौत हो गई। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से अभियुक्त सतपाल के विरूद्ध धारा-304-A भा०द० संहिता का अपराध संदेह से परे सिद्ध है। अभियुक्त सतपाल को धारा 304 A के तहत अपराध का दोषी पाया जाता है। अभियुक्त न्यायालय मे उपस्थित है। और जमानत पर है। उसके बंध-पत्र व प्रतिभूति पत्र निरस्त किये जाते है। जमा निधियों को उन्मुक्त किया जाता है।

अभियुक्त को अभिरक्षा मे लिया जाता है।

UNITED SECULAR SOCIETY
MAHESH CHANDRA SHARMA
Assistant Professor
Janhit College of Law
Greater Noida

आदेश :-

श्री अमित कुमार A.C.J.M तीस हजारी कोर्ट दिल्ली अभियुक्त सतपाल को सजा के प्रश्न पर सुना गया। उसने यह कहा कि यह उसका पहला अपराध है। तथा अभियुक्त ने यह भी कहा कि वह भविष्य मे ऐसी गलती नही करेगा। उसके घर मे छोटे-छोटे बच्चे व पत्नी है। घर मे कोई कमाने वाला नही है। उसके जेल जाने से उसका परिवार बर्बाद हो जायेगा, उसे कम से कम सजा दे कर छोड दिया जायेगा

अभियुक्त की इस बात व प्रार्थना पर विचार किया गया अभियुक्त के द्वारा कारित अपराध करने की परिस्थिति तथा अभियुक्त के पारिवारिक स्थिति को देखते हुए अभियुक्त को धारा - 304 A IPC के अंतर्गत अपराध का दोषी पाते हुए उसे 1 वर्ष के कठोर कारावास की सजा तथा 10,000/- रूपये आर्थिक दण्ड दिया जाना न्यायोचित है।

A.C.J.M. कोर्ट संख्या

तीस हजारी, जिला न्यायालय
दिल्ली ....
दिनांक ....

UNITED SECULAR SOCIETY

मुचलका व जमानत नामा :-

मुचलका व जमानत नाम तहकीकात इब्तदाई
स्वक मजिस्ट्रेट

दफा -496 व 499 जमीन. 5जमीन न. 5 नम्बर-42

अदालत ----- जीला
व मुकदमा नं० ----- सन.
मैं मुसम्मा ...... वल्द
पेशा .... निवासी
थाना ...... जीला

जर्म ------

बनाया गया। स्वक मजिस्ट्रेट मुकाम ------

आया हूँ और मुझे मुचलका वास्ते हाजिर होने अदालत मजिस्ट्रेट मे । अदालत सेशन मे अगर जरूरत हैं तलब हुई तो, लिहाजा इस तहरीर को इकरार करता हूँ कि हर तारीख पर, जब तक इस जुर्म की बात तहकीकात होती रहेगी मजिस्ट्रेट की अदालत या जिस अदालत मे जरूरत हो बराबर हाजिर रहूँगा और मुकदमा तफतीश के लिए अदालत सेशन मे सपुर्द किया जाये तो अदालत मे भी जबाबदेही उन इल्जाम जो मुझ पर लगाए गए हैं मौजूदा होने से कसूर करे तो मैं मुवाकिल ...... रूपया राज्य सरकार को हर्जाना के तौर पर अदा करूगा

दिनांक: ..... माह ----- सन

हस्ताक्षर -----